ARTICLE 1: INTRODUCTION

This LOAN AGREEMENT made at____________________________on ____________day of, 20 __________________specified in Schedule ("Agreement") by and between:

अनुच्छेद 1: परिचय

यह ऋण समझौता दिनांक .__________________________________ /20 _______को________________में, अनुसूची ("समझौता") में निर्दिष्ट अनुसार निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित किया गया है:

Aeon Credit Service India Private Limited, a non- banking financial company incorporated under Companies Act, 1956 having its registered office at Unit No.TF-A-01, 3rd Floor, A Wing, Art Guild House, Phoenix Marketcity, LBS Marg, Kurla (W), Mumbai-400 070(hereinafter referred to as "ACSI" or "LENDER") of the One Part;

प्रथम पक्षकार एयॉन क्रेडिट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर टीएफ-ए-01, तीसरी मंजिल, ए विंग, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केटसिटी, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई-400 070 में स्थित है। (इसके बाद इसे "ACSI" या "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा);

AND

और

The Borrower /Co-Borrower/Guarantor whose name and address are stated in the Schedule, (hereinafter called "the Borrower / Co-Borrower/Guarantor") (which expression shall unless the context otherwise requires, include the heirs, executors, administrators, successors and permitted assigns) of the Other Part.

Borrower/Co-Borrower/Guarantor and LENDER are hereinafter individually referred to as "Party" and collectively referred to as "Parties".

दूसरे पक्षकार- उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर जिसका नाम और पता अनुसूची में बताया गया है, (जिसे इसके बाद इसे " उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) (जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, इस अभिव्यक्ति में उत्तराधिकारी, निष्पादक, संचालक उत्तराधिकारी और अनुमत संपत्ति-भागी शामिल होंगे)।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और ऋणदाता को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षकार" के रूप में जाना जाता है।

A) The Borrower, as per the Application Form (hereinafter defined) has approached the LENDER for a loan amount as specified in Schedule for purchase of the vehicle as more particularly described in Schedule (hereinafter referred to as the "Vehicle").

ए) उधारकर्ता ने आवेदन पत्र (इसके बाद परिभाषित) के अनुसार, अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित (जिसे इसके बाद "वाहन" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) वाहन की खरीद के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट ऋण राशि के लिए ऋणदाता से संपर्क किया है।

B) The LENDER has agreed to grant and the Borrower has agreed to avail the Facility on the terms and conditions stated herein below:

बी) ऋणदाता ने ऋण देने के लिए सहमति दी है और उधारकर्ता नीचे बताए गए नियमों और शर्तों पर सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमत हो गया है:

ARTICLE 2:DEFINITIONS

अनुच्छेद 2: परिभाषाएँ

In these Terms and Conditions, the capitalized terms listed below shall have the following meanings:

इन नियमों और शर्तों में, नीचे सूचीबद्ध बड़े अक्षरों में निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"ACH" means Automatic Clearing House

"ACH" का अर्थ है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस।

"Application Form" means, as the context may permit or require, the Loan Application Form submitted by the Borrower/ s to Aeon credit services India Pvt Limited ("ACSI/ LENDER") for applying for and availing of the Facility for purchase of New/Used Vehicle, together with all information, particulars, clarifications, letters and undertakings and declarations, if any, furnished by the Borrower/s or any other persons from time to time in connection with the Facility.

जैसा कि संदर्भ के तहत या आवश्यक हो, नए/उपयोग किए गए वाहन की खरीद के लिए आवेदन करने और सुविधा का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ता द्वारा एयॉन क्रेडिट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("ACSI/ऋणदाता") को सुविधा के संबंध में समय-समय पर उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाओं, विवरणों, स्पष्टीकरणों, पत्रों, उपक्रम और घोषणाओं के साथ प्रस्तुत किया गया ऋण आवेदन पत्र।

"Authorized Bank" means the bank authorized by ACSI to collect payments from the Borrower on its behalf.

"अधिकृत बैंक" का अर्थ है ACSI द्वारा अपनी ओर से उधारकर्ता से भुगतान एकत्र करने के लिए अधिकृत बैंक।

"Borrower" means the person or persons named in the Loan Sanction Letter. Any references to one gender include all genders.

"उधारकर्ता" का अर्थ है ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लेखित लोग। एक लिंग के किसी भी संदर्भ में सभी लिंग शामिल हैं।

"City of Registration" means the location wherein the Vehicle is registered or to be registered with the local registering authority.

"पंजीकरण का शहर" का अर्थ वह स्थान है जहां वाहन पंजीकृत है या स्थानीय पंजीकरण प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होना है।

"Credit Information" means all information, documents, representations, particulars of operations and business, financial information, representations on future business prospects and clarifications which has been or may hereafter be furnished by the Borrower to ACSI from time to time.

"क्रेडिट सूचना" का अर्थ है सभी जानकारी, दस्तावेज़, अभ्यावेदन, संचालन और व्यवसाय का विवरण, वित्तीय जानकारी, भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं पर अभ्यावेदन और स्पष्टीकरण जो समय- समय पर उधारकर्ता द्वारा ACSI को प्रस्तुत किए गए हैं या किए जा सकते हैं।

"Dealer" means the entity which sells the Vehicle to the Borrower.

"डीलर" यानि उधारकर्ता को वाहन बेचने वाली संस्था।

"Down Payment" means an upfront amount paid by the Borrower to the Dealer towards the Borrower's contribution towards the purchase price of the Vehicle.

"डाउन पेमेंट" का अर्थ है वाहन की खरीद मूल्य के लिए उधारकर्ता के योगदान के लिए उधारकर्ता द्वारा डीलर को भुगतान की गई अग्रिम राशि।

"EMI" means equated monthly installments being installments of fixed amounts comprising of the principal amount of the Loan and interest charged thereon payable monthly towards repayment of the Loan Amount throughout the Loan Term and other fees and charges as specified in the Loan Sanction Letter.

"EMI" का अर्थ है समान मासिक किस्तें, जो निश्चित राशि की किश्तें होती हैं, जिसमें ऋण की मूल राशि और ऋण अवधि के दौरान ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए मासिक रूप से देय ब्याज और ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट अन्य फिज़ और शुल्क शामिल होते हैं।

"ENACH" – Electronic National Automated Clearing House

"ENACH" - इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस।

"Insurance Product" means and includes Products such as Loan on insurance and other insurance products or any other ad-on product as and when launched by ACSI

"बीमा उत्पाद" का अर्थ है ACSI द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए उत्पाद और इसमें बीमा पर ऋण और अन्य बीमा उत्पाद या कोई अन्य ऐड-ऑन उत्पाद जैसे उत्पाद शामिल है।

"LENDER" herein is referred to as Aeon Credit Service India Private

Borrower's Signature ______________________ Co-Borrower's Signature ______________________ Guarantor's Signature ______________________

Limited.

यहां "ऋणदाता" को एयॉन क्रेडिट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना गया है।

"Loan"/"Loan Amount" means the credit/finance which ACSI advances/lends to the Borrower as stipulated in the Loan Sanction Letter.

"ऋण"/"ऋण राशि" का अर्थ वह क्रेडिट/वित्त है जो ACSI ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित अनुसार उधारकर्ता को अग्रिम/उधार के रूप से दी जाती है।

"Loan Application" means the application form for availing finance /credit for purchase of the Vehicle made by the Borrower to ACSI.

"ऋण आवेदन" का अर्थ है वित्त/ ऋण प्राप्त करने के उधारकर्ता द्वारा ACSI को, वाहन की खरीद के लिए दिया गया आवेदन पत्र।

"Loan Sanction Letter" means the sanction letter provided by ACSI to the Borrower and accepted by the Borrower setting out the terms of the Loan, as may be amended, supplemented or replaced from time to time.

"ऋण स्वीकृति पत्र" का अर्थ ACSI द्वारा उधारकर्ता को प्रदान किया गया और उधारकर्ता द्वारा ऋण की शर्तों को निर्धारित करते हुए स्वीकार किया गया स्वीकृति पत्र, जो समय-समय पर संशोधित, जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

"Loan Tenure" means the duration of the Loan as stipulated in the Loan Application and Loan Sanction Letter.

"ऋण अवधि" का अर्थ है ऋण आवेदन और ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित ऋण की अवधि।

"Outstanding Dues" means all amounts payable by the Borrower to ACSI pursuant to these terms, including without limitation the principal Loan Amount and interest on the Loan Amount along with all charges & payables due to ACSI.

"बकाया देय" का अर्थ इन शर्तों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय सभी राशियां हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के ऋण की मूल राशि और ऋण राशि पर ब्याज के साथ-साथ ACSI के कारण सभी शुल्क और भुगतान शामिल हैं।

"Rate of Interest" means the fixed Rate of Interest referred to in the Loan Sanction Letter, duly revised by ACSI depending upon the Interest rate model policy of ACSI.

"ब्याज दर" का अर्थ है ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लिखित निश्चित ब्याज दर, जिसे ACSI की ब्याज दर मॉडल नीति के आधार पर ACSI द्वारा विधिवत संशोधित किया गया है।

"RBI" means Reserve Bank of India.

"RBI" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक।

"Registering Authority" shall mean an authority empowered to register motor Vehicles under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1988 (as amended from time to time).

"पंजीकरण प्राधिकारी" का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (समय-समय पर संशोधित) के अध्याय IV के तहत मोटर वाहनों को पंजीकृत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी होगा।

"Registration Certificate" means the certificate of registration of the Vehicle or such similar document with different nomenclature issued by the Registering authority with which the Vehicle is registered under the applicable motor Vehicles law.

"पंजीकरण प्रमाणपत्र" का अर्थ है वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अलग-अलग नामकरण वाले ऐसे समान दस्तावेज़, जिसके साथ वाहन लागू मोटर वाहन कानून के तहत पंजीकृत है।

"Repayment Schedule" means the schedule showing the dates and EMI amounts of repayments of the Loan including rate of interest, number of installment, etc.

"पुनर्भुगतान अनुसूची" का अर्थ है ब्याज दर, किस्त की संख्या आदि सहित ऋण के पुनर्भुगतान की तारीखें और ईएमआई राशि दर्शाने वाली अनुसूची।

"Vehicle" means the new or used two wheeler/four wheeler motor Vehicle acquired/to be acquired by the Borrower in respect of which the Loan is granted /to be granted by ACSI, hypothecated/ to be hypothecated to ACSI and shall include any equipment in respect of the Vehicle, and all accretions, additions and replacements to the Vehicle and/or the equipment, whenever made, including by way of body building and engine up-gradation and any other accessories that may be purchased by the Borrower using the Loan or any part thereof etc. inclusive of all the benefits and warranties provided by the manufacturer and the Dealer.

"वाहन" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा खरीदा गया/अधिग्रहण किया जाने वाला नया या उपयोग किया गया दोपहिया/चार पहिया मोटर वाहन जिसके संबंध में ACSI द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है/किया जाना है, ACSI के पास गिरवी रखा गया है/रखा जाना है और इसमें उधारकर्ता द्वारा ऋण या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग करके ख़रीदे गए बॉडी बिल्डिंग और इंजन अपग्रेडेशन और कोई अन्य सहायक उपकरण सहित, निर्माता और डीलर द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभ और वारंटी सहित वाहन के संबंध में कोई भी उपकरण और वाहन और/या उपकरण में सभी अभिवृद्धि, परिवर्धन और प्रतिस्थापन, जब भी किए जाएं, शामिल होंगे।

Any term/expression not defined herein, if defined within the General Clauses Act, 1897, shall carry the same meaning as assigned to it under the said Act.

यदि, यहां परिभाषित नहीं किया गया कोई भी शब्द/अभिव्यक्ति, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के भीतर परिभाषित किया गया है, तो उसका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम के तहत दिया गया है।

ARTICLE 3: TERMS OF LOAN

अनुच्छेद 3: ऋण की शर्तें

3.1 In the event ACSI sanctions the Loan on the basis of the Loan Application submitted by the Borrower, these Terms and Condition ("Agreement") read together with the Loan Sanction Letter, Repayment Schedule, Annexures and all applicable terms on the ACSI website will govern the Loan and the relationship between ACSI and the Borrower and supersede any prior arrangement or understanding between the Borrower and ACSI

3.1 यदि में ACSI उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन के आधार पर ऋण स्वीकार करता है, तो ऋण मंजूरी पत्र, पुनर्भुगतान अनुसूची, अनुबंध और ACSI वेबसाइट पर सभी लागू शर्तों के साथ पढ़ी जाने वाले ये नियम और शर्तें ("समझौता"), ऋण और ACSI और उधारकर्ता के बीच संबंधों को नियंत्रित करेंगी और उधारकर्ता और ACSI के बीच की किसी भी पूर्व सहमति या समझ का स्थान ले लेंगी।

3.2 This Agreement is a pure financing arrangement and the Borrower accept the entire risk for non-performance, non-delivery, breach and supply of inferior or damaged Vehicle by the Dealer and ACSI is not liable to the Borrower for any liability, claim, loss or expense of any kind caused directly or indirectly pursuant to the purchase of the Vehicle.

3.2 यह समझौता एक शुद्ध वित्तीय व्यवस्था है और उधारकर्ता, डीलर के गैर-प्रदर्शन, गैर-डिलीवरी, उल्लंघन और घटिया या क्षतिग्रस्त वाहन की आपूर्ति के लिए पूरे जोखिम को स्वीकार करता है और ACSI वाहन की ख़रीद के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए किसी भी प्रकार का ख़र्च, दायित्व, दावे, हानि के लिए उधारकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

3.3 ACSI has granted/agrees to grant the Loan and disburse the amount directly to the Dealer upon the request of the Borrower. The fees and charges referred to in the Loan Sanction Letter and interest as mentioned in the Loan Sanction Letter shall be a debt due by the Borrower to ACSI to be repaid as per Loan Sanction Letter, Repayment Schedule and the Terms and Conditions contained herein.

3.3 ACSI ने ऋण देने और उधारकर्ता के अनुरोध पर सीधे डीलर को राशि वितरित करने की अनुमति/सहमति दे दी है। ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट फीज़ और शुल्क और ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लेखित ब्याज, उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय ऋण होगा, जिसे ऋण स्वीकृति पत्र, पुनर्भुगतान अनुसूची और इसमें शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार चुकाना होगा।

Borrower's Signature ______________________ Co-Borrower's Signature ______________________ Guarantor's Signature ______________________

3.4 The Borrower shall continue to pay the instalments/EMIs on the respective due dates regardless of whether the Vehicle is under repair or not working or not delivered. The Borrower acknowledges, that all warranties in relation to the Vehicle are provided by the manufacture/Dealer and ACSI has no liability in this regard.

3.4 उधारकर्ता संबंधित नियत तिथियों पर किश्तों/EMI का भुगतान करना जारी रखेगा, फिर चाहे वाहन की मरम्मत चल रही हो या वह काम न कर रहा हो या वितरित न किया गया हो। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि वाहन के संबंध में सभी वारंटी निर्माता/डीलर द्वारा प्रदान की जाती हैं और इस संबंध में ACSI की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।

3.5 The Borrower shall pay all non-refundable fees and charges as set out in the Loan Sanction Letter on the ACSI website which may be deducted by ACSI at the time of disbursal of the Loan Amount to the Dealer or otherwise recovered by ACSI in any other manner as maybe mutually agreed between the Borrower and ACSI. It is clarified that where ACSI intends to deduct such fees and charges from the Loan Amount as specified in this clause, ACSI shall gross up the Loan Amount

3.5 उधारकर्ता को ACSI वेबसाइट पर ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित ऐसी सभी नॉन-रिफंडेबल फीज़ और शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे डीलर को ऋण की राशि के वितरण के समय ACSI द्वारा काटा जा सकता है या अन्यथा उधारकर्ता और ACSI के बीच आपसी सहमति से किसी निर्धारित अन्य तरीके से ACSI द्वारा वसूल किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां ACSI इस खंड में निर्दिष्ट ऋण की राशि से ऐसी फीज़ और शुल्क काटने का इरादा रखता है, ACSI ऋण की राशि को इस प्रकार

by a sum not exceeding the fees and charges so deducted, so as to ensure that the Loan Amount disbursed to the Dealer is not less than the Loan Amount approved by ACSI in the Application Form.

काटी गई फीज़ और शुल्क से अधिक नहीं करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीलर को वितरित ऋण की राशि आवेदन पत्र में ACSI द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि से कम नहीं है।

3.6 In the event of delay in the payment of EMI or of any other dues by the Borrower beyond the due date for such payment, then without prejudice to the other rights and remedies available to ACSI hereunder and under law, ACSI shall be entitled to charge additional late payment charges/ additional interest as stated in the Loan Sanction Letter or on ACSI website.

3.6 यदि उधारकर्ता द्वारा EMI या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में नियत तारीख से अधिक देरी होती है, तो यहां और कानून के तहत ACSI को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ACSI, जैसा कि ऋण स्वीकृति पत्र या ACSI की वेबसाइट पर बताया गया है, विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क/अतिरिक्त ब्याज वसूलने का हकदार होगा।

3.7 The Borrower shall utilize the Loan only for the purchase of the Vehicle sold by the Dealer and for no other purposes .

3.7 उधारकर्ता ऋण का उपयोग केवल डीलर द्वारा बेचे गए वाहन की खरीद के लिए करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।

3.8 Subject to Clause 11.2, ACSI shall furnish a Statement of Account (upon request), the amount claimed therein shall be final, conclusive and binding on the Borrower.

3.8 खंड 11.2 के अधीन, ACSI खाते का एक विवरण प्रस्तुत करेगा (अनुरोध पर), जिसमें दावा की गई राशि अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

3.9 The Borrower may withdraw the Loan Application and/ or otherwise choose not to borrow the Loan from ACSI without payment of any cancellation charges, if such withdrawal or cancellation, as the case may be, is communicated to ACSI in writing within 7(seven) days from the date of issuance of the Loan Sanction Letter by ACSI. In such cases, ACSI shall refund to the Borrower any amount paid by the Borrower to ACSI prior to such cancellation or withdrawal.

3.9 उधारकर्ता, बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के तभी ऋण आवेदन वापस ले सकता है और/या अन्यथा भुगतान के ACSI से ऋण उधार नहीं लेने का विकल्प चुन सकता है जब ऐसी निकासी या रद्दीकरण के बारे में, जैसा भी मामला हो, ACSI को, ACSI द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 7(सात) के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाता है। ऐसे मामलों में, ACSI ऐसे रद्दीकरण या निकासी से पहले उधारकर्ता द्वारा ACSI को भुगतान की गई किसी भी राशि को उधारकर्ता को वापस कर देगा।

3.10 If the Borrower intimates ACSI about his desire to withdraw the Loan Application and/or otherwise chooses not to borrow the Loan from ACSI after the expiry of stipulated time period in Clause 3.9 but before 7 days prior to the due date of the first installment of the EMI, the Borrower shall be bound to pay the cancellation charges as specified in the Loan Sanction Letter. It is clarified that in such cases, ACSI may adjust such cancellation charges against any amount available with ACSI prior to such cancellation or withdrawal, as the case may be. The surplus, if any, remaining after making such adjustment shall be refunded by ACSI to the Borrower and upon such refund being made, the Agreement between ACSI and the Borrower shall stand terminated, without prejudice to any antecedent claim that either party may have in connection therewith.

3.10 यदि उधारकर्ता ACSI को ऋण आवेदन वापस लेने की अपनी इच्छा के बारे में अन्यथा खंड 3.9 में निर्धारित समय अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन EMI की पहली किस्त की नियत तारीख से 7 दिन पहले ACSI को सूचित करता है और/ या ACSI से ऋण नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो उधारकर्ता ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में, ACSI ऐसे रद्दीकरण शुल्क को ऐसे रद्दीकरण या निकासी से पहले ACSI के पास उपलब्ध किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है, जैसा भी मामला हो। ऐसा समायोजन करने के बाद बची हुई राशि, यदि कोई हो, ACSI द्वारा उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी और इस तरह के राशि वापस किए जाने पर, ACSI और उधारकर्ता के बीच समझौता, किसी भी पक्ष के संबंध में किसी भी पूर्व दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर दिया जाएगा।

3.11 It is clarified that the Borrower shall not be entitled to cancel the Loan or otherwise withdraw the Loan Application within 7 (seven) days immediately preceding the date of the second installment of the EMI (or the first installment of the EMI, where the first installment has not been paid at the time of execution of the Loan Sanction Letter).

3.11 यह स्पष्ट किया गया है कि उधारकर्ता, EMI की दूसरी किस्त (या EMI की पहली किस्त, जहां ऋण स्वीकृति पत्र के निष्पादन के समय पहली किस्त का भुगतान नहीं किया गया है) की तारीख से तुरंत पहले 7 (सात) दिनों के भीतर ऋण रद्द करने या अन्यथा ऋण आवेदन वापस लेने का हकदार नहीं होगा।

ARTICLE 4: REPAYMENT OF LOAN

अनुच्छेद 4: ऋण का पुनर्भुगतान

4.1 The Borrower shall repay the Loan Amount together with interest charged thereon by way of EMIs to be paid in monthly installments as specified in the Loan Sanction Letter.

4.1 उधारकर्ता को ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट अनुसार मासिक किश्तों में भुगतान की जाने वाली EMI के माध्यम से ऋण की राशि और उस पर लगाए गए ब्याज का भुगतान करना होगा।

4.2 The due date for payment of EMI is indicated in the Loan Sanction Letter and it is understood that time is of the essence for payment of the EMI.

4.2 EMI के भुगतान की नियत तारीख ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लेखित की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि EMI का भुगतान, समय पर करना सबसे महत्वपूर्ण है।

4.3 ACSI shall be entitled to revise the Rate of Interest at any time and from time to time as per its policy and/or applicable laws and regulations, if any, during the Loan Tenure, at its

discretion and such revised interest shall be deemed to form part of the Loan and the Borrower shall also be liable to pay such revised amount of interest in such manner and within such period as may be determined by ACSI in its sole discretion. The Borrower shall be notified in advance of any change in the rates of interest and any such change shall be applicable only prospectively.

4.3 ACSI अपने विवेक पर ऋण की अवधि के दौरान अपनी नीति और/या लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार किसी भी समय और समय-समय पर ब्याज दर को संशोधित करने का हकदार होगा और ऐसे संशोधित ब्याज को ऋण का हिस्सा माना जाएगा और उधारकर्ता, ब्याज की ऐसी संशोधित राशि का भुगतान, ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो ACSI द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जाएं। ब्याज दरों में किसी भी बदलाव के बारे में उधारकर्ता को पहले से सूचित किया जाएगा और ऐसा कोई भी बदलाव केवल संभावित रूप से लागू होगा।

4.4 The EMI shall automatically stand revised by reason of revision in any rates, taxes, charges and levies that may be levied on the transaction contemplated herein or may become payable by ACSI by virtue of these terms and conditions. Such increase in rates, taxes, charges and levies as stated above shall automatically form part of the Loan. The increase in such EMI shall be notified to the Borrower by ACSI from time to time.

4.4 EMI स्वचालित रूप से यहां विचारित लेनदेन पर लगाए जाने वाले किसी भी दर, कर, शुल्क और उगाही में संशोधन के कारण संशोधित की जा सकती है या इन नियमों और शर्तों के आधार पर ACSI द्वारा देय हो सकती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दरों, करों, शुल्कों और उगाही में ऐसी बढ़ोतरी, स्वचालित रूप से ऋण का हिस्सा बन जाएगी। EMI में ऐसी बढ़ोतरी की सूचना समय-समय पर ACSI द्वारा उधारकर्ता को दी जाएगी।

4.5 All sums payable by the Borrower to ACSI shall be paid without any deductions whatsoever; discharge for payment will be given only on realization of the amount due.

4.5 उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय सभी रकम बिना किसी कटौती के भुगतान की जाएगी; भुगतान के लिए छूट देय राशि की वसूली पर ही दी जाएगी।

4.6 If there is any delay in payment of an EMI by the Borrower, ACSI shall be entitled to charge an overdue penalty fee at a rate mentioned in Loan Sanction Letter and to recover the balance amount together with such fee.

4.6 यदि उधारकर्ता द्वारा EMI के भुगतान में कोई देरी होती है, तो ACSI ऋण मंजूरी पत्र में उल्लिखित दर पर अतिदेय जुर्माना शुल्क वसूलने और ऐसे शुल्क के साथ शेष राशि की वसूली करने का हकदार होगा।

4.7 Not with standing anything contained herein, the Outstanding Dues and all other sums whatsoever payable by the Borrower to ACSI hereunder and/ or in connection with the Loan shall be payable by the Borrower to ACSI on demand. ACSI may, at any time, in its sole discretion and without assigning any reason, call upon the Borrower to pay the Outstanding Dues and thereupon the Borrower shall immediately pay the whole of the Outstanding Dues to ACSI without any delay or demur.

4.7 इसमें शामिल किसी भी बात के बावजूद, यहां और/या ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय बकाया राशि और अन्य सभी राशि, उधारकर्ता द्वारा ACSI के अनुरोध पर देय होगी। ACSI, किसी भी समय, अपने विवेक से और बिना कोई कारण बताए, उधारकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है और उसके बाद, उधारकर्ता को बिना किसी देरी या विलंब के तुरंत ही ACSI को संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

4.8 The Borrower shall not, without the approval of ACSI, be entitled to prepay the EMI or any part thereof before the expiry of Loan Tenure. ACSI may, at its discretion, give approval to the Borrower for the prepayment of any amounts due under the Loan, subject to the Borrower fulfilling any terms and conditions stipulated by ACSI including payment of prepayment charges at the rates set out in the Loan Sanction Letter.

4.8 ACSI की मंजूरी के बिना, उधारकर्ता ऋण अवधि की समाप्ति से पहले ईएमआई या उसके किसी भी हिस्से का पूर्व भुगतान करने का हकदार नहीं होगा। ACSI, अपने विवेक से, ऋण के तहत देय किसी भी राशि के पूर्व भुगतान के लिए उधारकर्ता को, उधारकर्ता द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित दरों पर पूर्व भुगतान शुल्क के भुगतान सहित ACSI द्वारा निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने पर मंजूरी दे सकता है।

ARTICLE 5: MODE OF PAYMENT

अनुच्छेद 5: भुगतान का तरीका

5.1 Payment by Post Dated Cheques: In case the payment of the monthly EMIs are being made by the post-dated cheques (which mode of payment may be refused by ACSI in its sole discretion), the Borrower shall hand over the post-dated cheques in favor of ACSI covering all or any of the amounts due to ACSI towards the Loan. The Borrower hereby irrevocably and unconditionally agrees and covenants:

(a) that each such post-dated cheque shall carry the date on which the relevant EMI is due;

(b) that the post-dated cheques given by the Borrower shall be valid as from the respective dates of such cheques and that at any point of time, the Borrower shall not claim that they are invalid due to any reason whatsoever;

(c) that he/she/it shall ensure availability of sufficient funds in the account on which such post-dated cheques have been drawn;

(d) that the Borrower shall not at any time close his/her account and/or issue any notice instructing ACSI not to present any of such cheques for encashment;

(e) that the Borrower shall not instruct his/her/its Bank to stop payment on any of such cheques; and

(f) that in case, the Borrower changes/desires to change his/her Bank of which the post-dated cheques deposited with ACSI are drawn, the Borrower shall be entitled to replace the cheques and/or issue fresh cheques only on payment of swapping charges to ACSI as specified in the Loan Sanction Letter. The Borrower hereby acknowledges that one of the essential terms of sanctioning the Loan is made on the basis of the post-dated cheques, issued by the Borrower in favour of ACSI towards repayment of EMIs payable by the Borrower.

5.1 पोस्ट डेटेड चेक द्वारा भुगतान: यदि मासिक ईएमआई का भुगतान पोस्ट-डेटेड चेक द्वारा किया जा रहा है (जिस भुगतान के माध्यम को ACSI द्वारा अपने विवेक से अस्वीकृत किया जा सकता है), तो उधारकर्ता को ACSI के पक्ष में ऋण के लिए ACSI को देय सभी या कुछ राशियों को शामिल करते हुए पोस्ट-डेटेड चेक सौंपना होगा।

उधारकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त सहमत होता है और अनुबंध करता है:

(ए) ऐसे प्रत्येक पोस्ट-डेटेड चेक पर वह तारीख लिखी होगी जिस दिन संबंधित ईएमआई देय है;

(बी) उधारकर्ता द्वारा दिए गए पोस्ट-डेटेड चेक ऐसे चेक की संबंधित तारीखों से मान्य होंगे और किसी भी समय, उधारकर्ता यह दावा नहीं करेगा कि वे किसी भी कारण से अमान्य हैं;

(सी) कि वह उस खाते में पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा जिसके ऐसे पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए हैं;

(डी) कि उधारकर्ता किसी भी समय अपना खाता बंद नहीं करेगा और/या ACSI को नकद बनाने के लिए ऐसे किसी भी चेक को प्रस्तुत न करने का निर्देश देने वाला कोई नोटिस जारी नहीं करेगा;

(ई) कि उधारकर्ता अपने बैंक को ऐसे किसी भी चेक पर भुगतान रोकने का निर्देश नहीं देगा; और

(एफ) यदि उधारकर्ता अपना बैंक, जिस पर ACSI के पास जमा किए गए पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए है, बदलता है/ बदलने की इच्छा रखता है, तो उधारकर्ता केवल ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट अनुसार

ACSI को स्वैपिंग शुल्क के भुगतान पर चेक को बदलने और/या नए चेक जारी करने का हकदार होगा। उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है कि ऋण स्वीकृत करने की आवश्यक शर्तों में से एक है पोस्ट-डेटेड चेक, जो उधारकर्ता द्वारा देय ईएमआई के पुनर्भुगतान के लिए ACSI के पक्ष में जारी किया जाता है।

5.2 Payment by Automatic/Electronic Clearing House Mandate (ACH / ENACH) : In case the payment of EMI is to be made by way of ACH / ENACH mandate covering all or any of the amounts due to ACSI towards the Loan, the Borrower hereby irrevocably and unconditionally agrees and covenants:

(a) that the ACH / ENACH mandate given, at or before the execution of these terms, will be valid as on the date of the ACH / ENACH mandate and at any point of time the Borrower shall not claim that they are invalid due to any reason whatsoever;

(b) the Borrower further confirms that he/she/it shall ensure availability of sufficient funds in the account on which such ACH / ENACH mandate has been drawn and the Borrower shall not at any time close his/her/its account or instruct his/her/its Bank to stop payment on any of such ACH / ENACH mandates and/or withdraw or change such mandate without prior intimation to ACSI;

(c) where the funds in the relevant bank account are not sufficient to honor the ACH / ENACH mandate as per its terms, the Borrower shall not object to ACSI presenting such

5.2 ऑटोमेटिक/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस मैंडेट (ACH/ENACH) द्वारा भुगतान: यदि ईएमआई का भुगतान ACH/ENACH अधिदेश के माध्यम से किया जाना है, जिसमें ऋण के लिए ACSI को देय सभी या किसी भी राशि को शामिल किया गया है, तो उधारकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त सहमत है और वचन देता है की:

(ए) इन शर्तों के निष्पादन पर या उससे पहले दिया गया ACH / ENACH जनादेश, ACH / ENACH जनादेश की तारीख पर मान्य होगा और किसी भी समय, किसी भी कारण से उधारकर्ता यह दावा नहीं करेगा कि वे अमान्य हैं;

(बी) उधारकर्ता आगे सहमति देता है की वह उस खाते में पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा जिसके ऐसे ACH / ENACH अधिदेश जारी किए गए हैं और उधारकर्ता किसी भी समय अपना खाता बंद नहीं करेगा और/या अपने बैंक को ऐसे किसी भी ACH / ENACH अधिदेश पर भुगतान रोकने और/या ACSI को पूर्व सूचना दिए बिना ऐसे अधिदेश को वापस लेने या बदलने का निर्देश नहीं देगा;

(सी) जहां संबंधित बैंक खाते में धनराशि उसकी शर्तों के अनुसार ACH / ENACH अधिदेश की स्वीकृति के लिए पर्याप्त नहीं है, उधारकर्ता यहां देय और भुगतानी किसी भी राशि की वसूली के लिए ACSI द्वारा ऐसे ACH / ENACH अधिदेश प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति नहीं जताएगा;

ACH / ENACH mandate all over again for recovery of any amount due and payable hereunder;

(d) that the Loan has been made available by ACSI on the basis of ACH / ENACH mandate issued by the Borrower in favour of ACSI towards repayment of EMI payable by the Borrower to ACSI and details of the ACH / ENACH mandate are more fully described in the Loan Application;

(e) that in case the Borrower changes/desires to change his/her Bank, the Borrower shall be entitled to replace the ACH / ENACH mandate and issue a fresh ACH / ENACH mandate for the new Bank only on payment of swapping charges to ACSI at the rates specified in the Loan Sanction Letter.

(डी) कि ACSI द्वारा ऋण, उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय ईएमआई के पुनर्भुगतान के लिए ACSI के पक्ष में जारी किए गए एसीएच / ईएनएसीएच अधिदेश के आधार पर उपलब्ध कराया गया है और ACH/ENACH अधिदेश का विवरण ऋण आवेदन में पूरी तरह से वर्णित है;

(ई) कि यदि उधारकर्ता अपना बैंक बदलता है/बदलने की इच्छा रखता है, तो उधारकर्ता ACSI को ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट दरों पर स्वैपिंग शुल्क के भुगतान पर ही एसीएच/ईएनएसीएच अधिदेश को बदलने या नए बैंक के लिए नया एसीएच/ईएनएसीएच अधिदेश जारी करने का हकदार होगा।

ARTICLE 6: BORROWER' S REPRESENTATIONS AND COVENANTS

अनुच्छेद 6: उधारकर्ता द्वारा अभ्यावेदन और सहमति

6.1 The Borrower represents and warrants to ACSI as under:

6.1 उधारकर्ता ACSI को निम्नानुसार अभ्यावेदन और गारंटी देता है:

(a) The Borrower is/are individuals competent to contract under the Indian Contract Act, 1872;

(ए) उधारकर्ता भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अनुबंध करने के लिए सक्षम व्यक्ति है;

(b) all declarations provided by the Borrower in relation to the Loan availed by the Borrower, are true and accurate in all respects;

(बी) उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी घोषणाएं सभी मामलों में सत्य और सटीक हैं;

(c) the Borrower is fully empowered to avail the Loan and agrees to adhere to the Loan Sanction Letter, these Terms and Conditions and to perform the obligations contained herein;

(सी) उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है और ऋण स्वीकृति पत्र, इन नियमों और शर्तों का पालन करने और इसमें निहित ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सहमत है;

(d) the Loan Application Form and this Agreement have been duly executed and delivered by the Borrower as may be required, and once the Loan is disbursed by ACSI, the Loan Application Form, Loan Sanction Letter together with this Agreement constitute a legal, valid and binding obligations of the Borrower enforceable against him/her/them in accordance therewith;

(डी) ऋण आवेदन पत्र और इस समझौते को आवश्यकतानुसार उधारकर्ता द्वारा विधिवत निष्पादित और वितरित किया गया है, और एक बार ACSI द्वारा ऋण वितरित कर दिए जाने के बाद, इस समझौते के साथ ऋण आवेदन पत्र, इसके तहत उधारकर्ता के खिलाफ लागू करने योग्य कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्वों का गठन करता है;

(e) all information and documents provided by the Borrower to ACSI in the Loan Application or otherwise howsoever in relation to the Loan, is true, correct, accurate and complete in all respects and is not misleading in letter or spirit, whether by reason of omission to state a material fact or otherwise;

(ई) ऋण आवेदन में या अन्यथा ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ACSI को प्रदान की गई सभी जानकारी और दस्तावेज, सभी मामलों में सत्य, सही, सटीक और पूर्ण हैं और यह किसी भौतिक तथ्य को बताने में चूक के कारण हो या अन्यथा, अक्षरश: या भाव से भ्रामक नहीं है;

(f) no proceedings have been initiated or events occurred in connection with insolvency, bankruptcy, protection against creditors or as a relief undertaking or other similar matters in relation to the Borrower, and there is no order for the appointment of a receiver, administrator or other similar person or authority in relation to the business, undertaking or assets of the Borrower.

(एफ) लेनदारों के खिलाफ दिवालियापन, बचाव या राहत उपक्रम या उधारकर्ता के संबंध में अन्य समान मामलों के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या घटना नहीं हुई है और उधारकर्ता के व्यवसाय, उपक्रम या संपत्ति के संबंध में रिसीवर, प्रशासक या अन्य समान व्यक्ति या प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई आदेश नहीं है।

(g) in case of used Vehicle, the Borrower consents to the valuation of the Vehicle by ACSI authorized valuator and confirms that the price of the Vehicle is determined on the basis of such valuation.

(जी) उपयोग किए गए वाहन की खरीदी के मामले में, उधारकर्ता ACSI

Borrower's Signature ______________________ Co-Borrower's Signature ______________________ Guarantor's Signature ______________________

अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा वाहन के मूल्यांकन के लिए सहमति देता है और पुष्टि करता है कि वाहन की कीमत ऐसे मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(h) the Borrower shall not assign the Vehicle obtained under this Agreement for commercial purposes.

(एच) उधारकर्ता इस समझौते के तहत प्राप्त वाहन को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं सौंपेगा।

6.2 The Borrower hereby acknowledges, agrees, undertakes and covenants as under:-

6.2 उधारकर्ता इसके द्वारा निम्नानुसार स्वीकार करता है, सहमत होता है, वचन देता है और अनुबंध करता है:-

(a) the Borrower shall ensure timely payment of the EMI to ACSI and ensure that the post-dated cheques/ACH or ENACH Mandate/any other electronic or other clearing mandate issued towards payment of the EMI are honored on presentation irrespective of the condition of the Vehicle so financed;

(ए) उधारकर्ता ACSI को ईएमआई का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ईएमआई के भुगतान के लिए जारी किए गए पोस्ट- डेटेड चेक/ एसीएच या ईएनएसीएच जनादेश/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन जनादेश, चाहे इस प्रकार वित्तपोषित वाहन की स्थिति कुछ भी हो, जारी किए जाने पर स्वीकृत किए जाए।

(b) on the date of payment of the EMI or any other sums payable hereunder, the Borrower shall ensure that bank account has sufficient balance and has been debited towards the EMI or relevant sum, as the case may be, and in case of his/her/its account has not been so debited, the Borrower shall be obliged to inform ACSI in this regard within 3 (Three) days from the due date of such EMI;

(बी) ईएमआई या यहां देय किसी अन्य राशि के भुगतान की तारीख पर, उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक खाते में पर्याप्त राशि है और ईएमआई या प्रासंगिक राशि, जैसा भी मामला हो, के लिए डेबिट की गई है और यदि उधारकर्ता के खाते से ऐसी राशि डेबिट नहीं की जाती, तो वह ऐसी ईएमआई की नियत तारीख से 3 (तीन) दिनों के भीतर इस संबंध में ACSI को सूचित करने के लिए बाध्य होगा;

(c) the Borrower shall pay and bear all taxes, rates, duties, charges and other imposts and obligations, existing as well as in future, in respect of the Loan;

(सी) उधारकर्ता ऋण के संबंध में मौजूदा और भविष्य में सभी करों, दरों, शुल्कों और अन्य अधिभारों और वित्तीय दायित्वों का भुगतान करेगा और उसे वहन करेगा;

(d) the Borrower shall permit ACSI and its representative at all reasonable times to inspect, view and examine the state and condition of the Vehicle and the documents relating thereto and/or shall produce the same for inspection to ACSI or its representative at a place designated by ACSI;

(डी) उधारकर्ता ACSI और उसके प्रतिनिधि को वाहन की स्थिति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने, देखने और जांच करने के लिए सभी उचित समय पर अनुमति देगा और/या ACSI द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ACSI या उसके प्रतिनिधि को निरीक्षण के लिए इसे प्रस्तुत करेगा;

(e) the Borrower shall obtain all that is necessary to maintain in full force and effect all authorizations, approvals, consents, no-objections, insurances, licenses, permissions and renewals required in or by the laws in relation to this Agreement, each collateral documents and the performance of obligations hereunder in relation to the Vehicle;

(ई) उधारकर्ता को इस अनुबंध, वाहन के संबंध में प्रत्येक संपार्श्विक दस्तावेज़ और इसके तहत दायित्वों के प्रदर्शन के संबंध में या उसके तहत आवश्यक सभी प्राधिकरणों, अनुमोदनों, सहमति, अनापत्ति, बीमा, लाइसेंस, अनुमति और नवीनीकरण को संपूर्ण रूप से अमल में बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्राप्त करनी होंगी।

(f) the Borrower shall get the Vehicle (in case of acquiring a new Vehicle) registered with the appropriate Registering Authority (wherever applicable) under the Motor Vehicles Act, 1988;

(एफ) उधारकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उचित पंजीकरण प्राधिकारी (जहां भी लागू हो) के साथ वाहन (नया वाहन प्राप्त करने के मामले में) पंजीकृत करवाना होगा;

(g) the Borrower shall submit the copy of Registration Certificate to ACSI within 15 days from the date of receipt of the same from Registering Authority.

(जी) उधारकर्ता को पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसकी प्रति ACSI को जमा करनी होगी।

(h) the Borrower shall inform ACSI of any loss, destruction or misplacement of the Registration Certificate of the Vehicle or the insurance policy relating to the Vehicle within three working days of such loss, destruction or misplacement;

(एच) उधारकर्ता वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र या वाहन से संबंधित बीमा पॉलिसी को हानि, विनाश या उसे खो देने के बारे में ACSI को ऐसी हानि, विनाश या खो जाने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगा;

(I) the Borrower shall not apply for any duplicate Registration Certificate for the Vehicle otherwise than by delivering the application thereof to ACSI for endorsing the charge on the Vehicle;

(आई) उधारकर्ता वाहन का कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए ACSI को आवेदन देने के अलावा वाहन के लिए किसी भी डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं करेगा;

(j) the Borrower shall not transfer the registration of the Vehicle to any city or town other than the City of Registration without the prior written permission of ACSI;

(जे) उधारकर्ता ACSI की पूर्व लिखित अनुमति के बिना वाहन के पंजीकरण को पंजीकरण के शहर के अलावा किसी अन्य शहर या गाँव में स्थानांतरित नहीं करेगा;

(k) The Borrower/s shall keep the Product(s) free from any and all liens, charges and encumbrances whatsoever, save and except for the first and exclusive charge created / to be created in favour of LENDER, and the Borrower/s shall not hypothecate, mortgage, pledge, charge, encumber, sell, assign, transfer, hire, lease, let out or otherwise part with possession of the Product(s) in any manner whatsoever.

(के) उधारकर्ता, ऋणदाता के पक्ष में बनाए गए / बनाए जाने वाले पहले और विशेष प्रभार को छोड़कर उत्पाद को किसी भी और सभी ग्रहणाधिकार, शुल्क और ऋणभार से मुक्त रखेगा और उधारकर्ता किसी भी तरीके से उत्पाद(उत्पादों) को गिरवी नहीं रखेगा, बेचेगा नहीं, सौंपेगा नहीं, स्थानांतरित नहीं करेगा, किराये पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा या अन्यथा उत्पाद का कब्ज़ा किसी और को नहीं देगा।

Any such direct or indirect agreement / arrangement, lien, charge, encumbrance, hire, lease, transfer or parting with possession of the Product(s), as referred to in Clause 7, shall be deemed to be an act of criminal breach of trust and cheating by the Borrower/s and LENDER shall be entitled in such circumstances, without any prejudice to the other rights of LENDER under law and/or this Agreement, to initiate appropriate criminal proceedings against the Borrower/s.

जैसा कि खंड 7 में संदर्भित है, ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौता / व्यवस्था, ग्रहणाधिकार, प्रभार, बाधा, किराया, पट्टा, हस्तांतरण या उत्पाद का कब्ज़ा सौंप देने को उधारकर्ता/ओं द्वारा आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी माना जाएगा और ऋणदाता, ऐसी परिस्थितियों में, कानून और/या इस समझौते के तहत ऋणदाता के अन्य अधिकारों पर किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, उधारकर्ता के खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का हकदार होगा।

(l) the Borrower shall indemnify and keep indemnified ACSI against any loss or damage to the Vehicle or any part thereof

Borrower's Signature ____________________ Co-Borrower's Signature ____________________ Guarantor's Signature ____________________

from whatsoever cause whether or not such damage is as a consequence of the negligence of the Borrower(s).

(एल) उधारकर्ता वाहन या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी कारण से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए ACSI को क्षतिपूर्ति देगा और हानिरहित रखेगा, चाहे ऐसी क्षति उधारकर्ता की लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई हो या नहीं।

(m) the Borrower shall do all such things and execute all such writings as ACSI may require from time to time for duly or more perfectly securing the repayment of the Loan;

(एम) उधारकर्ता ऐसे सभी कार्य करेगा और ऐसे सभी लेख निष्पादित करेगा जिनकी ACSI को ऋण की पुनर्भुगतान को विधिवत या अधिक पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है;

(n) the Borrower shall not do or suffer any act or thing whereby the Vehicle may be detained or taken in execution under legal process, or by any public authority or government department and shall not use the Vehicle for unlawful or antisocial purposes;

(एन) उधारकर्ता ऐसा कोई कार्य या चीज नहीं करेगा जिसके कारण वाहन को कानूनी प्रक्रिया के तहत या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग द्वारा हिरासत या कब्ज़े में लिया जा सके और वाहन का उपयोग गैरकानूनी या असामाजिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा;

(o) the Borrower shall not use or permit the use of the Vehicle for any purpose not permitted by the terms of the insurance policy, not do or permit to be done any act or thing which might render the insurance invalid;

(ओ) उधारकर्ता बीमा पॉलिसी की शर्तों द्वारा अनुमत किसी भी उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, ऐसा कोई कार्य या चीज़ नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जिससे बीमा अमान्य हो जाएं;

(p) the Borrower shall not default or delay in the payment of the EMI or his/her/its dues beyond the due dates;

(पी) उधारकर्ता नियत तारीखों से परे ईएमआई या उसके बकाया के भुगतान में चूक या देरी नहीं करेगा;

(q) subject to this Agreement, the Borrower shall have no right to terminate the Loan Sanction Letter or these terms and conditions save and except by payment, in full, of all moneys payable under these terms and conditions to ACSI;

(क्यू) इस समझौते के अधीन, उधारकर्ता को ACSI को इन नियमों और शर्तों के तहत देय सभी धनराशि का पूरा भुगतान करने के अलावा ऋण मंजूरी पत्र या इन नियमों और शर्तों को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा;

(r) the Borrower acknowledges that the Rate of Interest, penal charges, service charges, prepayment charges and other charges payable and/or agreed to be paid by the Borrower under this Agreement are reasonable, necessary and acceptable to him/them/her;

(आर) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज दर, दंडात्मक शुल्क, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क और अन्य शुल्क उचित, आवश्यक और स्वीकार्य हैं;

(s) the Borrower understands that this financing transaction gives rise to a relationship of debtor and creditor as between the Borrower and ACSI, and not in respect of any service rendered / to be rendered by ACSI. Accordingly, the provisions of the Consumer Protection Act, 1986 shall not apply to the transaction between ACSI and the Borrower;

(एस) उधारकर्ता समझता है कि यह वित्तीय लेनदेन उधारकर्ता और ACSI के बीच देनदार और लेनदार के रिश्ते को जन्म देता है, न कि ACSI द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के संबंध में। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान ACSI और उधारकर्ता के बीच लेनदेन पर लागू नहीं होंगे;

(t) the Borrower shall, as and when required to do so by ACSI, provide ACSI with the updated identification documents.

(टी) उधारकर्ता, जब भी ACSI द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होगी, ACSI को अद्यतन पहचान दस्तावेज प्रदान करेगा।

(u) the Borrower shall cooperate and ensure that there are no obstacles and allow inspection of the Vehicle and all documents relating thereto for verification thereof by any person authorized for this purpose by ACSI.

(यू) उधारकर्ता सहयोग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई बाधा न हो और ACSI द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा सत्यापन के लिए वाहन और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

(v) On demand being made by the ACSI -:

i. Give immediate actual possession to the ACSI, its nominees or agents (as the case may be) of the Vehicle;

ii. Transfer, deliver and endorse all registrations, policies, certificates and documents relating to the Vehicle to ACSI, its nominees or agents (as the case may be);

(v) ACSI द्वारा अनुरोध किए जाने पर -:

i. वाहन का ACSI, उसके नॉमिनी या एजेंट (जैसा भी मामला हो) को तुरंत ही कब्ज़ा देगा;

ii. वाहन से संबंधित सभी पंजीकरणों, नीतियों, प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों को ACSI, उसके नॉमिनी या एजेंट (जैसा भी मामला हो) को स्थानांतरित करेगा, वितरित करेगा और हस्ताक्षरित करेगा;

(w) the Borrower shall keep himself acquainted with the rules of ACSI, as amended from time to time.

(डब्ल्यू) उधारकर्ता समय-समय पर संशोधित ACSI के नियमों से अवगत रहेगा।

(x) the Borrower confirms that the price of the Vehicle has been arrived at after taking into account all relevant taxes, duties and levies applicable as on the date of this Agreement. The Borrower agrees that the EMIs may be increased by any fresh imposition or increase in the price of the Vehicle, taxes, duties, levies and charges during the subsistence of this Agreement or that are or may be levied on the instalments or the transaction hereunder or are or may become payable by virtue of entering into this Agreement. In the event of such taxes, duties, levies and charges being imposed and/ or increasing during the period of placing of the order of the Vehicle and its acceptance and eventual delivery to the Borrower, all and any such taxes, duties, levies and charges, increments shall be borne and paid by the Borrower.

(एक्स) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि वाहन की कीमत इस समझौते की तारीख पर लागू सभी संबंधित कर, शुल्क और उगाही को ध्यान में रखकर तय की गई है। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि वाहन की कीमत, कर, शुल्क, उगाही के लागू होने या उसमे बढ़ोतरी से ईएमआई बढ़ सकता है और इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान या किश्तों या लेनदेन पर लगाए जाने वाले शुल्क इस अनुबंध में प्रवेश करने के आधार पर देय हो सकता है। वाहन के ऑर्डर देने और उसकी स्वीकृति और अंततः उधारकर्ता को डिलीवरी की अवधि के दौरान ऐसे कर, शुल्क और उगाही लगाए जाने और/या बढ़ने की स्थिति में, ऐसे सभी कर, उगाही और शुल्क और उनमे बढ़ोतरी, उधारकर्ता द्वारा चुकाएँ जाएंगे।

ARTICLE 7: SECURITY

अनुच्छेद 7: प्रतिभूति

7.1 The Loan including the Outstanding Dues payable by the Borrower to ACSI hereunder shall be secured by the Vehicle on which ACSI shall have first and exclusive charge.

7.1 उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय बकाया सहित ऋण, वाहन द्वारा प्रतिभूत की जाएगी और इस पर ACSI का पहला और विशेष प्रभार होगा।

7.2 Upon execution of this Agreement the Borrower shall execute a promissory note of the value of the total instalments less the Down Payment, along with the Rate of Interest applicable. It is expressly clarified that such Promissory note shall be by way of collateral security for repayment of Loan and shall not be deemed to be conditional payment of instalments.

7.2 इस समझौते के निष्पादन पर उधारकर्ता को लागू ब्याज दर के साथ, डाउन पेमेंट को घटाकर कुल किस्तों के मूल्य का एक वचन पत्र निष्पादित करना होगा। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसा वचन पत्र ऋण के पुनर्भुगतान के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के माध्यम से होगा और इसे किश्तों का सशर्त भुगतान नहीं माना जाएगा।

7.3 The Borrower shall also execute a Demand Promissory Note and/or a letter of continuity, in the format prescribed which shall be treated as part & parcel of the terms entered into between the Borrower and ACSI. Although the Borrower(s) has/have given Demand Promissory Note, in case of default, the Borrower shall be liable to repay to ACSI, the Loan Amount together with interest at the rates mentioned in Loan Sanction Letter from the date of default till the date of recovery of the same by ACSI. It is clarified that where there are more Borrowers than one, each one of them shall be jointly and severally liable on the Promissory Note.

7.3 उधारकर्ता निर्धारित प्रारूप में एक मांग वचन पत्र और/या निरंतरता पत्र भी निष्पादित करेगा, जिसे उधारकर्ता और ACSI के बीच सहमत शर्तों का हिस्सा माना जाएगा। उधारकर्ता द्वारा मांग वचन पत्र दिए जाने पर भी डिफ़ॉल्ट के मामले में, उधारकर्ता, डिफ़ॉल्ट की तारीख से ACSI द्वारा इसकी वसूली की तारीख तक ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लिखित दरों पर ब्याज सहित ACSI को ऋण राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि जहां एक से अधिक उधारकर्ता हैं, उनमें से प्रत्येक संयुक्त रूप से और अलग-अलग मांग वचन पत्र पर उत्तरदायी होगा।

7.4 In case of death of the Borrower, the Promissory Note given by a Borrower shall be invoked against his/her/ legal heir/s, successor/s to the estate coming in their hands.

7.4 उधारकर्ता की मृत्यु के मामले में, उधारकर्ता द्वारा दिया गया मांग वचन पत्र, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलने वाली संपत्ति के खिलाफ लागू किया जाएगा।

ARTICLE 8: INSURANCE

अनुच्छेद 8: बीमा

(a) The Borrower shall be solely responsible for insurance of the Vehicle including renewal of insurance and shall insure and keep the Vehicle insured comprehensively against all risks and such eventualities during the currency of Loan, and ACSI shall not at any time be responsible for insuring the Vehicle or otherwise responsible for any third party claim that may arise from the use of the Vehicle.

(ए) उधारकर्ता बीमा के नवीनीकरण सहित वाहन के बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और ऋण की अवधि के दौरान सभी जोखिमों और ऐसी घटनाओं के खिलाफ वाहन को व्यापक रूप से बीमाकृत रखना होगा और ACSI किसी भी समय वाहन का बीमा करने के लिए या अन्यथा वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी तीसरे पक्ष के दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(b) The Borrower shall use the Vehicle himself and through his servants and agents strictly in accordance with the terms and conditions of the insurance policy and shall not permit to be done any act or thing which may render such insurance invalid and use the Vehicle legitimately and not engage in any unlawful or illegal activity by which the ownership or custody of the Vehicle is in any way jeopardized.

(बी) उधारकर्ता वाहन का उपयोग खुद और अपने नौकरों और एजेंटों के माध्यम से, बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार सख्ती से करेगा और ऐसा कोई कार्य या चीज़ करने की अनुमति नहीं देगा जो ऐसे बीमा को अमान्य कर दे और वाहन का उपयोग मान्य रूप से करेगा और ऐसी किसी भी गैरकानूनी या अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे वाहन की मालिकी या कब्ज़ा किसी भी तरह से खतरे में पड़े।

(c) If the Vehicle suffers any damage, or is lost stolen or destroyed, whether due to any risk covered by insurance or otherwise and whether due to any negligence or wrongful act of the Borrower or otherwise, the Borrower shall notify ACSI

and the insurance company of such damage, loss, theft or destruction within the stipulated time period after occurrence as per the terms and conditions of insurance. The Borrower shall also immediately lodge a report/FIR in respect of such damage, loss, theft or destruction, as the case may be, with the police and other competent authorities as per law.

(सी) यदि वाहन को कोई क्षति पहुँचती है, या चोरी हो जाता है या वह नष्ट हो जाता है, चाहे वह बीमा द्वारा कवर किए गए किसी जोखिम के कारण हो या अन्यथा और चाहे उधारकर्ता की किसी लापरवाही या गलत कार्य के कारण हो या अन्यथा, तो उधारकर्ता बीमा के नियमों और शर्तों के अनुसार घटना के बाद निर्धारित समय अवधि के भीतर ACSI और बीमा कंपनी को ऐसी क्षति, हानि, चोरी या विनाश के बारे में सूचित करेगा। उधारकर्ता को ऐसी क्षति, हानि, चोरी या विनाश के संबंध में, जैसा भी मामला हो, तुरंत पुलिस और कानून के अनुसार अन्य सक्षम अधिकारियों के पास रिपोर्ट/एफआईआर दर्ज करानी होगी।

(d) In the event of any loss or damage to the Product(s) due to any accident, the first claim on any insurance proceeds shall be that of LENDER, which proceeds shall be applied by LENDER towards the Borrower/s Due in terms hereof or such other manner as deemed fit by LENDER. Further, and in the event of any total loss / damage to the Products(s), if the claim amount settled by the insurance company is less than the total Borrower/s' Dues outstanding and payable by the Borrower/s, the Borrower/s shall immediately pay all the balance outstanding amounts of the Borrower/s' Dues to LENDER. The Borrower/s hereby irrevocably authorized LENDER and entitled at its sole discretion to act on the Borrower/s' behalf, at the Borrower/s sole risk and cost, and to take all necessary steps, actions and proceedings as LENDER deems fit to safeguard its interests: (i) to adjust, settle, compromise or refer to arbitration any dispute arising under or in connection with any insurance and such adjustment, settlement, compromise and any award made on such arbitration shall be valid and binding on the Borrower/s, and (ii) to receive all monies payable under any such insurance or under any claim made thereunder and to give a valid receipt therefore, and apply such proceeds in accordance with the terms hereof for such other manner as deemed fit by LENDER.

(डी) किसी भी दुर्घटना के कारण उत्पाद को कोई हानि या क्षति होने की स्थिति में, बीमा के तहत प्राप्त किसी भी राशि पर पहला दावा ऋणदाता का होगा, जो आय ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता के देय के लिए लागू की जाएगी। ऋणदाता द्वारा प्राप्त राशि को उधारकर्ता द्वारा देय राशि में, यहाँ उल्लेखित शर्तों या ऋणदाता द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, और उत्पादों के किसी भी कुल नुकसान/क्षति की स्थिति में, यदि बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित की गई दावा राशि कुल उधारकर्ता की बकाया राशि और उधारकर्ता द्वारा किए जाने वाले भुगतान से कम है, तो उधारकर्ता ऋणदाता को अपनी संपूर्ण बकाया राशि का तुरंत भुगतान करना होगा। उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता को अपरिवर्तनीय रूप से और अपने विवेक से, अपने खुद के जोखिम और लागत पर, अपनी ओर से कार्य करने और ऋणदाता द्वारा अपने हित के लिए उचित समझे जाने वाले सभी आवश्यक कदम, कार्रवाई और कार्यवाही करने के लिए अधकृत करता है:

(i) किसी बीमा के अंतर्गत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को समायोजित करने, निपटारा करने, समझौता करने या मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और इस तरह का समायोजन, निपटान, समझौते और ऐसी मध्यस्थता द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, उधारकर्ता/ओं पर मान्य और बाध्यकारी होगा और (ii) ऐसे

किसी भी बीमा के तहत या उसके तहत किए गए किसी भी दावे के तहत देय सभी राशि प्राप्त करने के लिए और फिर एक मान्य रसीद देने के लिए, और ऐसी राशि को ऋणदाता द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके से यहां की शर्तों के अनुसार लागू करने के लिए।

Article 8.1 : INSURANCE PRODUCTS

अनुच्छेद 8.1: बीमा उत्पाद

[Instructions:Borrower(s) ______ to ______ tick (against the chosen Insurance Products and cross)

[निर्देश: उधारकर्ता को चुने हुए बीमा उत्पादों के सामने टिक और क्रॉस करना होगा)

[अस्वीकृत बीमा उत्पाद के विरुद्ध। यदि उधारकर्ता किसी भी बीमा उत्पाद को खरीदने का विकल्प नहीं चुनता है, तो यह खंड उधारकर्ताओं और ACSI पर लागू नहीं होगा]

[against the rejected Insurance Product. If the Borrower/s opts not to procure any of the Insurance Products, this Clause shall be inapplicable to the Borrowers and ACSI]

(i) Loan for Insurance premium :The Borrower(s) has made an independent assessment of the insurance scheme and policies offered by various insurance companies for the Product(s). Upon such independent assessment, the Borrower(s) has also opted to avail the loan for insurance premium.

(ii) Insurance Product: ACSI shall facilitate loan for any insurance product availed by the Borrower/s and will be payable by the Borrower/s to the ACSI along with EMI.

(i) बीमा प्रीमियम के लिए ऋण: उधारकर्ता ने उत्पाद के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा दी गई बीमा योजना और पॉलिसियों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। इस तरह के स्वतंत्र मूल्यांकन पर, उधारकर्ता ने बीमा प्रीमियम के लिए ऋण लेने का विकल्प भी चुना है।

(ii) बीमा उत्पाद: ACSI उधारकर्ता द्वारा लिए गए किसी भी बीमा उत्पाद के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करेगा और उधारकर्ता द्वारा ACSI को ईएमआई के साथ भुगतान किया जाएगा।

(a) The Borrower(s) has been informed by ACSI about the availability of loan and/or facility for insurance products[collectively the "Insurance Product(s) "]. The Borrower(s) confirms that he is aware that Loan and Insurance Product(s) are available separately and Borrower(s) is/are not obligated to take any of the Insurance Products along with Loan. After independent assessment of the Insurance Products and considering the benefits of the Insurance Product(s), the Borrower has voluntarily opted to avail the following Insurance Product(s). Further all below or any of the Insurance Products the repayment shall be inclusive in EMI of the said loan.

(ए) उधारकर्ताओं को ACSI द्वारा बीमा उत्पादों [सामूहिक रूप से "बीमा उत्पाद"] के लिए ऋण और/या सुविधा की उपलब्धता के बारे में सूचित किया गया है। उधारकर्ता पुष्टि करता है कि वह जानता है कि ऋण और बीमा उत्पाद अलग-अलग उपलब्ध हैं और उधारकर्ता ऋण के साथ कोई भी बीमा उत्पाद लेने के लिए बाध्य नहीं है। बीमा उत्पादों के स्वतंत्र मूल्यांकन और बीमा उत्पाद के लाभों पर विचार करने के बाद, उधारकर्ता ने स्वेच्छा से निम्नलिखित बीमा उत्पाद का लाभ उठाने का विकल्प चुना है। इसके अलावा नीचे दिए गए सभी या किसी भी बीमा उत्पाद का पुनर्भुगतान उक्त ऋण की ईएमआई में शामिल होगा।

(b) The Borrower/s accepts and agrees that in the event they opt for any of the Insurance Products, they shall have no option to change the tenor or duration of the Loan (including any Prepayment or Rescheduling of the Loan) except at the discretion of ACSI.

(बी) उधारकर्ता स्वीकार करता हैं और सहमत हैं कि यदि वे किसी भी बीमा उत्पाद का विकल्प चुनता हैं, तो उसके पास, ACSI के विवेक के अलावा, ऋण की अवधि या कार्यकाल (ऋण के किसी भी पूर्व भुगतान या पुनर्निर्धारण सहित) को बदलने का कोई विकल्प नहीं होगा।

(c) In case of default in payment of any installments/ EMI, ACSI shall at its discretion discontinue such services under the Insurance Products and shall have right to take necessary legal action for recovery of such dues. The arrears shall form a part of the Borrower(s) Dues defined herein above.

(सी) किसी भी किस्त/ईएमआई के भुगतान में चूक के मामले में, ACSI अपने विवेक से बीमा उत्पादों के तहत ऐसी सेवाओं को बंद कर देगा और ऐसे बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। बकाया राशि यहां ऊपर परिभाषित उधारकर्ता की बकाया राशि का एक हिस्सा होगा।

(i) ACSI shall not be liable, in any way, in case of defect or breach in the performance of carrying out any facilities, memberships, services, or the non-

(i) किसी भी सुविधा, सदस्यता, सेवाओं के प्रदर्शन में दोष या उल्लंघन या उसके गैर-प्रदर्शन के मामले में, चाहे ACSI या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा, ACSI किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

performance thereof, whether by ACSI or any other third party.

(ii) ACSI has the r ight to cancel the availed insurance product by the Borrower(s) in case of default of EMI as per the undertaken amortization schedule.

(iii) ACSI shall be mentioned as the FIRST loss payee under availed "Insurance Product".

(ii) ACSI को प्राधिकरण कार्यक्रम के अनुसार ईएमआई के डिफ़ॉल्ट के मामले में उधारकर्ता द्वारा प्राप्त बीमा उत्पाद को रद्द करने का अधिकार है।

(iii) ACSI का उल्लेख "बीमा उत्पाद" के तहत नुकसान की भरपाई प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में किया जाएगा।

ARTICLE 9: EVENTS OF DEFAULT:

अनुच्छेद 9: डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ:

Each of the following events is and shall be deemed to constitute, an "Event of Default":

निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना "डिफ़ॉल्ट की घटना" है और मानी जाएगी:

(a) if the Borrower commits a breach of the terms contained herein or the Loan Sanction Letter including but not limited to default or delay in the payment of any EMI or other amounts outstanding in respect of the Vehicle as and when they become payable, or commits material breach of the representations and warranties of the Borrower referred to in Article 6 above. As per guidelines of Reserve Bank of India as may be updated from time to time, upon default or delay in the payment of EMI or any other amount due to ACSI, the Borrower loan account shall be flagged as overdue by ACSI as part of their day-end process for the due date, irrespective of the time of running such processes. Similarly, the Borrower account shall be classified as Special Mention Account ("SMA") as well as Non-Performing Assets ("NPA") as part of day-end process for the relevant date. Further, loan account once classified as NPA can be upgraded as "Standard" only after entire arrears of principal, interest and any other amount are paid by the Borrower. An illustration of classification of SMA & NPA is attached with Agreement as Annexure-I.

(ए) यदि उधारकर्ता वाहन के संबंध में देय किसी भी ईएमआई या अन्य बकाया राशि के भुगतान में चूक या देरी सहित यहां या ऋण स्वीकृति पत्र में निहित शर्तों का उल्लंघन करता है या उपरोक्त अनुच्छेद 6 में उल्लिखित उधारकर्ता के अभ्यावेदन और वारंटी का भौतिक उल्लंघन करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है, ACSI को बकाया ईएमआई या किसी अन्य राशि के भुगतान में चूक या देरी पर, ऐसी

प्रक्रियाओं के निष्पादन में होने की परवाह किए बिना, उधारकर्ता ऋण खाते को नियत तारीख के लिए उनकी दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ACSI द्वारा अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसी प्रकार, उधारकर्ता के खाते को संबंधित तारीख के लिए दिन की समाप्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में विशेष उल्लेख खाते ("एसएमए") के साथ-साथ गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ("एनपीए") के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, एक बार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए ऋण खाते को, मूलधन, ब्याज और किसी अन्य राशि के संपूर्ण बकाया का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किए जाने के बाद ही "मानक" के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है। एसएमए और एनपीए के वर्गीकरण का एक उदाहरण अनुबंध-I के रूप में अनुबंध के साथ संलग्न है।

(b) if there is a reasonable apprehension that the Borrower is unable to pay his/ her/ debts or the Borrower has admitted his/her inability to pay his/ her/ debts, as they become payable;

(बी) यदि उचित आशंका है कि उधारकर्ता अपने ऋणों का भुगतान देय होने पर भुगतान करने में असमर्थ है या उधारकर्ता ने अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता स्वीकार कर ली है;

(c) on the death/lunacy or other disability of the Borrower;

(सी) उधारकर्ता की मृत्यु/पागलपन या अन्य विकलांगता पर;

(d) if there is any commencement of a legal process against the Borrower under any law in force or, in the opinion of ACSI, the Borrower has committed, assisted, abetted a crime/fraud and/ or is likely to evade/violate or assist or abet violation/evasion of any laws, rules, regulations, directions of a lawful authority whether Indian or foreign or if ACSI so apprehends;

(डी) यदि लागू किसी कानून के तहत उधारकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है या, ACSI की राय में, उधारकर्ता ने अपराध/धोखाधड़ी की है, उसमे सहायता की है, करने के लिए उकसाया है और/या भारतीय या विदेशी वैध प्राधिकारी के किसी भी कानून, नियम, विनियम, निर्देशों से बचने/उल्लंघन करने या उल्लंघन/चोरी में सहायता करने या बढ़ावा देने की संभावना रखता है या यदि ACSI को इसकी आशंका है;

(e) if there exists any other circumstance, which in the sole opinion of ACSI is prejudicial to the interest of ACSI or the security of ACSI;

(ई) यदि ऐसी कोई अन्य परिस्थिति मौजूद है, जो ACSI की एकमात्र राय में ACSI के हित या ACSI की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है;

(f) if the Vehicle is confiscated, attached, taken into custody by any official, authority or other person or is made subject to any proceedings, or is disclaimed, endangered, stolen or damaged or bodily injury is caused to any third party by accident.

It is clarified that where there are more Borrowers than one, the occurrence of any of the aforesaid events in respect of one of the Borrowers shall be an Event of Default in respect of all of them and the provisions of Article 10 shall be applicable.

(ऍफ़) यदि वाहन किसी अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा जब्त कर लिया गया है, कुर्क कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है या किसी कार्यवाही के अधीन किया गया है, या अस्वीकृत किया गया है, खतरे में डाला गया है, चोरी किया गया है या क्षतिग्रस्त किया गया है या दुर्घटनावश किसी तीसरे पक्ष को शारीरिक चोट पहुंचाई गई है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां एक से अधिक उधारकर्ता हैं, उधारकर्ताओं में से किसी एक के संबंध में उपरोक्त घटनाओं में से किसी की घटना उन सभी के संबंध में डिफ़ॉल्ट की घटना होगी और अनुच्छेद 10 के प्रावधान लागू होंगे।

ARTICLE 10: CONSEQUENCE OF DEFAULT AND REMEDIES

अनुच्छेद 10:डिफ़ॉल्ट के परिणाम और उपाय

10.1 Upon the occurrence of an Event of Default, the Outstanding Dues shall forthwith become payable to ACSI. In case the Borrower fails to pay the Outstanding Dues or any part thereof, the Borrower undertakes to forthwith surrender to ACSI or its representatives the Vehicle financed by ACSI and ACSI on behalf of Borrower shall, without prejudice to any other right or remedy which it may have in law, be entitled to dispose off the same and adjust the proceeds against the Borrower's outstanding. If, after sale of the Vehicle, there is any deficit, the same shall be unconditionally and promptly made good to ACSI by the Borrower.

10.1 डिफ़ॉल्ट की घटना घटित होने पर, बकाया राशि तुरंत ACSI को देय हो जाएगी। यदि उधारकर्ता बकाया राशि या उसके किसी हिस्से का भुगतान नहीं करता, तो उधारकर्ता तुरंत ACSI या उसके प्रतिनिधियों को ACSI द्वारा वित्तपोषित वाहन सौंपने का वचन देता है और ACSI, उधारकर्ता की ओर से, उसके पास कानून के तहत हो ऐसे किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे बेचने और उधारकर्ता के बकाया के विरुद्ध प्राप्त राशि को समायोजित करने का हकदार होगा। यदि, वाहन की बिक्री के बाद भी राशि अपर्याप्त है, तो उधारकर्ता द्वारा को बिना किसी शर्त और तुरंत ही ACSI का भुगतान करना होगा।

10.2 Without prejudice to the foregoing, ACSI shall be entitled to encash the post-dated cheques referred to herein above, and to enforce the Promissory Note until all Outstanding Dues are fully paid up.

10.2 पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ACSI ऊपर उल्लिखित पोस्ट-डेटेड चेक को नकद कराने और मांग वचन पत्र लागू करने का हकदार, तब तक होगा जब तक कि सभी बकाया राशि पूरी तरह से चूका नहीं दी जाती।

10.3 ACSI shall be entitled to appoint and authorize third party agents to assist ACSI in the enforcement of security and collection of the Outstanding Dues from the Borrower.

10.3 ACSI प्रतिभू के संपादन और उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली में ACSI की सहायता के लिए तीसरे पक्ष के एजेंटों को नियुक्त करने और अधिकृत करने का हकदार होगा।

10.4 The following are without prejudice to other rights and remedies of ACSI under law or in equity:

10.4 निम्नलिखित कानून के तहत या समान रूप से ACSI के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं:

(a) in case of delay in payment of EMI or dishonour of the cheques/ ACH or ENACH Mandate/any other electronic or other clearing mandate, ACSI shall be entitled to recover overdue penalty/ fees/ charges at the rates set out in the Loan Sanction Letter; and

(ए) ईएमआई के भुगतान में देरी या चेक / एसीएच या ईएनएसीएच अधिदेश / किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन आदेश की अस्वीकृति के मामले में, ACSI ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित दरों पर अतिदेय जुर्माना / शुल्क / शुल्क वसूलने का हकदार होगा; और

(b) in case of default by reason of the cheques/ACH Mandate/any other electronic or other clearing mandate being dishonoured, ACSI shall be entitled to initiate legal proceedings under Negotiable Instruments Act, 1881and The Payment and Settlement Systems Act, 2007.

(बी) चेक/एसीएच आदेश/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन आदेश के अनादर के कारण डिफ़ॉल्ट के मामले में, ACSI परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने का हकदार होगा।

(c) ACSI may demand the Borrower to return the Vehicle in the same conditions as delivered, reasonable wear and tear expected and the Borrower shall be under obligation to give immediate actual possession to the ACSI, its nominees or agents (as the case may be) of the Vehicle.

(सी) ACSI उधारकर्ता से वाहन को उसी स्थिति में वापस करने के लिए कह सकता है जिस स्थिति में उसे वितरित किया गया है, उचित टूट-

Borrower's Signature ______________________ Co-Borrower's Signature ______________________ Guarantor's Signature ______________________

फूट अपेक्षित है और उधारकर्ता, ACSI, उसके नॉमिनी या एजेंट (जैसा भी मामला हो) को वाहन का तत्काल वास्तविक कब्ज़ा देने के लिए बाध्य होगा।

(d) ACSI may issue prior intimation of 7 days via any mode of communication before taking lawful possession of the vehicle. However in case of surrender of the vehicle, or if the borrower is not responding to any of the communications is neither traceable nor contactable then in that cases notice can be waived off.

(डी) ACSI वाहन का मान्य कब्ज़ा लेने से पहले संचार के किसी भी माध्यम से 7 दिनों की पूर्व सूचना जारी कर सकता है। हालाँकि, वाहन के समर्पण के मामले में, या यदि उधारकर्ता किसी भी संचार का जवाब नहीं दे रहा है, न ही उसका पता लग रहा है और न ही उसका संपर्क किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में सूचनाओं को माफ किया जा सकता है।

(e) Post expiry of the notice period, Notwithstanding anything contained in the Agreement, ACSI or its representative or its agents shall have right to enter upon the premises where the Vehicle is located and take immediate possession of and remove the Vehicle without any liability to ACSI or its agents for such entry or for damage to property or otherwise. Before taking the possession of the vehicle ACSI shall issue pre intimation letter to police authority and upon custody of the vehicle, ACSI shall issue post intimation letter to police authority and prepare inventory of the repossessed vehicle. ACSI has the right to detach and dismantle the Vehicle from any part of the freehold or process machinery to which the Vehicle may be affixed without the prior permission of the Borrower. For the purpose of the repossession of the Vehicle the Borrower expressly grants hereby irrevocable license to ACSI or its agent or any other authorized representative for the purpose of exercising its rights under this Clause. The Borrower agrees that the right enjoyed by ACSI as stated herein is reasonable and necessary to safeguard ACSI interests.

(ई) नोटिस की अवधि की समाप्ति के बाद, समझौते में किसी भी बात के बावजूद, ACSI या उसके प्रतिनिधि या उसके एजेंटों को उस परिसर में प्रवेश करने का और ऐसे प्रवेश के लिए या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए या अन्यथा ACSI या उसके एजेंटों को कोई दायित्व दिए बिना वाहन को तुरंत अपने कब्जे में ले लेना का और वहां से हटा देने का अधिकार होगा। वाहन को कब्जे में लेने से पहले ACSI पुलिस प्राधिकारी को पूर्व सूचना पत्र जारी करेगा और वाहन को कब्जे में लेने पर, ACSI पुलिस प्राधिकारी को डाक सूचना पत्र जारी करेगा और वापस लिए गए वाहन की सूची तैयार करेगा। ACSI को, उधारकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना, वाहन को फ्रीहोल्ड या प्रोसेस मशीनरी के किसी भी ऐसे हिस्से से अलग करने और नष्ट करने का अधिकार है, जिससे वाहन को जोड़ा गया है। वाहन का कब्ज़ा फिर से प्राप्त करने के उद्देश्य से उधारकर्ता इस खंड के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के उद्देश्य से ACSI या उसके एजेंट या किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से अपरिवर्तनीय लाइसेंस प्रदान करता है। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ACSI द्वारा प्राप्त अधिकार, जैसा कि यहां बताया गया है, ACSI के हितों की रक्षा के लिए उचित और आवश्यक है।

(f) Before proceeding with the sale of the vehicle, a final opportunity is given to the borrower and a pre -sale intimation notice shall be issued to the borrower for clearing the outstanding dues within a period of 15 days from the date of the said notice, if the dues are not cleared, ACSI Sell the Vehicle by public auction or private sale through online/offline listing or otherwise dispose off, hold, use, hire to others, or keep idle the Vehicle, without any duty to account to the Borrower for such action or inaction or for any proceeds with respect thereto and to receive consideration of the sale, transfer, disposition of the Vehicle and issue proper receipt(s) and give a valid and effectual discharge for such consideration and to appropriate the same towards the amount outstanding under the Loan payable by the Borrower to ACSI.

(एफ) वाहन की बिक्री के साथ आगे बढ़ने से पहले, उधारकर्ता को एक अंतिम अवसर दी जाएगी और उक्त सूचना की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता को बिक्री पूर्व सूचना जारी की जाएगी। यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ACSI वाहन को सार्वजनिक नीलामी या निजी बिक्री के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफ़लाइन लिस्टिंग के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से वाहन को बेच सकता है, उपयोग कर सकता है, दूसरों को किराए पर दे सकता है या वाहन को निष्क्रिय रख सकता है और ऐसी कार्रवाई या कार्यवाई न करने या उसके संबंध में किसी भी राशि की प्राप्ति के लिए ACSI, उधारकर्ता को उत्तरदायी नहीं होगा। एसीएसआइ वाहन की बिक्री, स्थानांतरण, निपटान पर प्रतिफल प्राप्त करने और उचित रसीदें जारी करने और इस तरह के प्रतिफल के लिए एक मान्य और प्रभावी निर्वहन देने और उधारकर्ता द्वारा ACSI को देय ऋण के तहत बकाया राशि के साथ इसे समायोजित करने का हक़दार होगा।

(g) Upon request by the borrower to give back the possession of the vehicle subject to payment of the outstanding amount upto the date of release of the vehicle along with the repossession and parking charges, ACSI shall release back the vehicle to the borrower.

(जी) उधारकर्ता द्वारा वाहन को मुक्त करने की तारीख तक की बकाया राशि के साथ-साथ कब्ज़े और पार्किंग शुल्क का भुगतान कर लेने के बाद वाहन का कब्ज़ा वापस देने के अनुरोध पर, ACSI वाहन को उधारकर्ता को वापस दे देगा।

(h) If the borrower fails to pay the total outstanding amount, ACSI shall dispose the vehicle and issue a post sale notice to the borrower within 15 days containing the sale proceeds amount along with the bifurcation of the outstanding amount if any. It is agreed and understood by the Borrower that the right of ACSI to recover the amount payable and/or repayable or reimbursable to the satisfaction of ACSI shall survive any such cancellation of Loan and/or termination of the Agreement and ACSI's rights of initiating action to recover the

(एच) यदि उधारकर्ता कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता, तो ACSI वाहन को बेच देगा और 15 दिनों के भीतर उधारकर्ता को बिक्री के बाद की सुचना जारी करेगा, जिसमें बिक्री से प्राप्त राशि के साथ-साथ यदि कोई हो, तो बकाया राशि का विभाजन भी शामिल होगा। उधारकर्ता इस बात पर सहमत और समझता है कि ACSI की संतुष्टि तक देय और/या चुकाने योग्य या प्रतिपूर्ति योग्य राशि की वसूली करने का ACSI का अधिकार ऋण के ऐसे किसी भी रद्दीकरण और/या समझौते की समाप्ति के बावजूद भी रहेगा और राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने के ACSI के अधिकार भी समझौते की समाप्ति पर बने रहेंगे। इसलिए ACSI सभी या कोई भी कदम उठाने का हकदार होगा और उधारकर्ता ऋण/समझौते की ऐसी समाप्ति या रद्दीकरण पर आधार नहीं रखेगा।

amount shall also survive, on termination of the Agreement. ACSI shall be entitled to take all or any of the steps therefore and the Borrower shall not take defense of such termination or cancellation of Loan/ the Agreement.

10.5 Upon realization of the Loan Amount:

a. the net proceeds of sale, realization, recovery and/ or insurance claims proceeds relating to the Vehicle herein, shall be applied at the sole and absolute discretion of the ACSI in the manner deemed fit by ACSI. The Borrower shall continue to be liable for any deficiency in the amount due to ACSI after adjustment of the net proceeds of sale, realization, recovery and/or insurance claim as above.

b. No interest or compensation shall be payable by ACSI to the Borrower on the proceeds to be held by ACSI or during the period the same shall be held by ACSI for being applied in accordance with this Agreement.

c. Upon the termination or earlier determination of this Agreement or the cancellation of the Loan as the case may be or in case of any Outstanding Dues, ACSI shall be absolutely entitled or be at liberty to sell or otherwise dispose off the Vehicle in such manner as they may deem fit including by private sale which shall be acceptable to the Borrower.

Borrower's Signature ______________________ Co-Borrower's Signature ______________________ Guarantor's Signature ______________________

d. If the price recovered on such sale or disposal falls short of the Outstanding Dues, ACSI may by a notice in writing call upon the Borrower to pay the difference within such days of the receipt of the notice by Borrower, together with all overdue sums, owing and payable to ACSI under or by virtue of these presents and the Borrower agrees to make such payment without demur.

10.5 ऋण की राशि की वसूली पर:

ए. यहां उल्लेखित वाहन से संबंधित बिक्री, वसूली, वसूली और/या बीमा दावों की शुद्ध आय, ACSI द्वारा उचित समझे गए तरीके से ACSI के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर लागू की जाएगी। उपरोक्तानुसार बिक्री, वसूली, और/या बीमा के दावे की शुद्ध आय के समायोजन के बाद ACSI को देय राशि में किसी भी कमी के लिए उधारकर्ता उत्तरदायी रहेगा।

बी. ACSI द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय पर या इस अनुबंध के अनुसार लागू होने की अवधि के दौरान ACSI द्वारा उधारकर्ता को कोई ब्याज या मुआवजा देय नहीं होगा।

सी. इस समझौते की समाप्ति या समय से पहले निर्धारण पर या ऋण को रद्द करने पर, जैसा भी मामला हो या किसी बकाया राशि के मामले में, ACSI वाहन को बेचने या अन्यथा ऐसे तरीके से निपटान करने का पूरी तरह से हकदार होगा, जैसे वह उचित समझे, जिसमें निजी बिक्री भी शामिल है, जो उधारकर्ता को स्वीकार्य होगी।

डी. यदि ऐसी बिक्री या निपटान पर वसूल की गई कीमत बकाया राशि से कम हो जाती है, ACSI एक लिखित नोटिस द्वारा उधारकर्ता को नोटिस प्राप्त होने के कुछ दिनों के भीतर, इन प्रस्तुतियों के तहत या उनके आधार पर ACSI को देय और भुगतान योग्य सभी अतिदेय राशि के साथ बाकी का भुगतान करने के लिए कह सकता है और उधारकर्ता बिना किसी आपत्ति के ऐसा भुगतान करने के लिए सहमत है।

10.6 ACSI shall also be entitled to take recourse to other legal remedies under any other law which may be enacted or in force to protect the interest of ACSI.

10.6 ACSI, ACSI के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित या लागू हो ऐसे किसी अन्य कानून के तहत अन्य कानूनी उपायों का सहारा लेने का भी हकदार होगा।

ARTICLE 11: MISCELLANEOUS

अनुच्छेद 11: विविध

11.1 Assignment

a. The parties to the agreement are not entitled to transfer or assign any of his/ her/ their rights or obligations under this Agreement to any person directly or indirectly without the prior written consent of ACSI on this behalf.

b. The Borrower shall not be entitled to assign its rights and obligations under these terms and conditions save and except with the consent of ACSI. The Borrower shall not transfer, alienate or otherwise deal with the Vehicle in any manner whatsoever except for his use or otherwise as contemplated in these Terms and Conditions and/ or the Loan Sanction Letter

11.1 स्वत्वार्पण

ए. समझौते के पक्ष,इस समझौते के तहत ACSI की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को हस्तांतरित या सौंपने के हकदार नहीं हैं।

बी. ACSI की सहमति के बिना, उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को सौंपने का हकदार नहीं होगा। उधारकर्ता अपने उपयोग के अलावा या अन्यथा इन नियमों और शर्तों और/या ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लेखित अनुसार वाहन को किसी भी तरीके से स्थानांतरित, हस्तांतरित या अन्यथा उसके साथ व्यवहार नहीं करेगा।

11.2 Accounts

Any statement of account furnished by ACSI regarding the balance amount due and payable by the Borrower shall be accepted by and be binding on the Borrower and shall be conclusive proof of the correctness of the amount mentioned therein. Without prejudice to what is stated above, if the Borrower desires to question any statement or any part thereof, the Borrower shall furnish ACSI full details of the same within 15 (fifteen) days of the receipt of the statement by the Borrower, and ACSI may consider the same in accordance with its internal grievance redressal policy. It is, however, clarified that the Borrower shall not be entitled to default or delay the payment of the EMI on the ground of the statement of account furnished by ACSI being inaccurate or any other ground.

11.2 खाते

उधारकर्ता द्वारा देय और भुगतान योग्य शेष राशि के संबंध में ACSI द्वारा प्रस्तुत खाते का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उस पर बाध्यकारी होगा और उसमें उल्लिखित राशि की शुद्धता का निर्णायक प्रमाण होगा। ऊपर बताई गई बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उधारकर्ता किसी बयान या उसके किसी हिस्से पर सवाल उठाना चाहता है, तो उधारकर्ता को अपने बयान की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ACSI को उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा, और ACSI अपनी आंतरिक शिकायत निवारण नीति के अनुसार इस पर विचार कर सकता है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि उधारकर्ता ACSI द्वारा प्रस्तुत खाते के विवरण के गलत होने या किसी अन्य आधार पर ईएमआई के भुगतान में डिफ़ॉल्ट या देरी का हकदार नहीं होगा।

11.3 Change in Terms

ACSI shall notify to the Borrower of any change in the terms and conditions including amount of EMI, interest rates, service charges, prepayment charges etc. and such changes in interest rates and other charges shall be effected prospectively. The Borrower shall be bound by the aforesaid change once notified and shall not dispute the same. The Borrower acknowledges that ACSI may, from time to time, modify the Rate of Interest payable by the Borrower by notice to the Borrower in manner provided in this Agreement or by posting the change on its website. The Borrower hereby agrees that he shall keep himself abreast and updated by

11.3 शर्तों में बदलाव

ACSI ईएमआई की राशि, ब्याज दरों, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदि सहित नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में उधारकर्ता को सूचित करेगा और ब्याज दरों और अन्य शुल्कों में ऐसे बदलाव संभावित रूप से प्रभावी होंगे। एक बार सूचित हो जाने पर उधारकर्ता पर उपरोक्त परिवर्तन बाध्यकारी होंगे और वह उस पर विवाद नहीं करेगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ACSI, समय-समय पर, इस अनुबंध में दिए गए तरीके से उधारकर्ता को नोटिस देकर या अपनी वेबसाइट पर परिवर्तन पोस्ट करके उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज दर को परिवर्तन कर सकता है। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि वह समय-समय पर ACSI द्वारा ब्याज दर में किए गए सभी परिवर्तनों और संशोधनों के बारे में ACSI की वेबसाइट या ईमेल सूचनाओं को सत्यापित करके खुद को अवगत रखेगा।

verifying the website of ACSI or email notifications about all the changes and amendments to the interest rate made by ACSI from time to time.

11.4 Securitisation

a) The Borrower/s expressly recognises and accepts that LENDER shall be absolutely entitled and have full power and authorized to sell, assign or transfer in any manner, in whole or in part, or in such manner and on such terms as LENDER may decide, including reserve a right to proceed against the Borrower/s on behalf of the Purchaser, Assignee or Transferee, any or all outstanding dues of the Borrower/s so any third party of LENDER's choice without reference to or without written intimation by LENDER or from LENDER.

(b) Any such action and such sale, assignment or transfer shall

Borrower's Signature ________________________ Co-Borrower's Signature ________________________ Guarantor's Signature ________________________

bind the Borrower/s to accept such third party as creditor exclusively or as a joint creditor with LENDER, or as creditor exclusively with the right to LENDER to continue to endorse all powers hereunder on behalf of such third party and to pay over such outstanding dues to such third party and/or to LENDER as LENDER may direct.

(c) Any cost in this behalf, whether on account of such sale, assignment or transfer or enforcement of rights and recovery of outstanding dues shall be to the account of the Borrower/s.

(d) The Borrower/s acknowledges and undertakes to pay to third parties the difference between the amount outstanding and the amount received by LENDER in the event of transfer of the his/ her/its Facility/Loan account portfolio to a third party.

(e) In event of such transfer/assignment of loan account the third party shall have authority of the Borrower to collect the due amount.

11.4 प्रतिभूतिकरण

(ए) उधारकर्ता स्पष्ट रूप से मानता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता पूरी तरह से, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, या ऋणदाता द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसी शर्तों पर बेचने, आवंटित करने या स्थानांतरित करने का पूरा अधिकार होगा, जिसमे क्रेता, समनुदेशिती या अंतरिती की ओर से उधारकर्ता/ओं के विरुद्ध आगे बढ़ने का अधिकार सुरक्षित रखना, उधारकर्ता/ओं के किसी भी या सभी बकाया, ऋणदाता की पसंद के किसी तीसरे पक्ष के संदर्भ के बिना या ऋणदाता या ऋणदाता से लिखित सूचना के बिना आगे बढ़ने का अधिकार सुरक्षित रखना शामिल है।

(बी) ऐसी कोई भी कार्रवाई और ऐसी बिक्री, कार्यभार या स्थानांतरण उधारकर्ता को ऐसे तीसरे पक्ष को विशेष रूप से ऋणदाता के रूप में या ऋणदाता के साथ संयुक्त ऋणदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा या ऋणदाता के रूप में विशेष रूप से ऋणदाता को ऐसे तीसरे पक्ष की ओर से सभी शक्तियों का समर्थन जारी रखने का अधिकार है और जैसा कि ऋणदाता निर्देश देता है, ऐसे तृतीय पक्ष और/या ऋणदाता को बकाया राशि का भुगतान करने का अधिकार है।

(सी) इस संबंध में कोई भी लागत, चाहे ऐसी बिक्री, स्वत्वार्पण या हस्तांतरण या अधिकारों के प्रवर्तन और बकाया राशि की वसूली के कारण हो, उधारकर्ता के खाते में होगी।

(डी) उधारकर्ता अपने सुविधा/ऋण खाते पोर्टफोलियो को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने की स्थिति में बकाया राशि और ऋणदाता द्वारा प्राप्त राशि के बीच के अंतर को स्वीकार करता है और तीसरे पक्ष को भुगतान करने का वचन देता है।

(ई) ऋण खाते के ऐसे हस्तांतरण/स्वत्वार्पण की स्थिति में तीसरे पक्ष के पास उधारकर्ता से देय राशि एकत्र करने का अधिकार होगा।

11.5 Credit Verification

ACSI shall be entitled to conduct background checks and credit verifications in respect of the Borrower from time to time to ensure the credit worthiness of the Borrower.

11.5 क्रेडिट सत्यापन

ACSI उधारकर्ता की क्रेडिट पात्रता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उधारकर्ता के संबंध में पृष्ठभूमि की जांच और क्रेडिट सत्यापन करने का हकदार होगा।

11.6 Disclosure

11.6 प्रकटीकरण

(a) Subject to provisions of clause (b) below, ACSI hereby undertakes to maintain details of the Borrower as mentioned in Loan Application cum KYC Form or any other information pertaining to the Borrower in confidence and, save and except with the prior consent of the Borrower, it shall not, disclose the same to any person.

(b) The Borrower hereby grants unconditional consent to ACSI to disclose the information and other details relating to the Borrower available with ACSI, in the following circumstances:

(i) Disclosure to any court, tribunal or regulatory or governmental authority under law,

(ii) Without prejudice to the generality of (i) above, disclosure to the Reserve Bank of India under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 or the rules, regulations circulars and notifications issued thereunder;

(iii) Disclosure to enable ACSI to conduct a credit verification process of the Borrower as specified in clause 11.5 above;

(iv) Disclosures to group companies or affiliates of ACSI or to third-party contractors or vendors appointed by ACSI from time to time for record-keeping purposes and/ or for keeping the Borrower informed about various schemes and Vehicles of such companies or affiliates and/ or third-party contractors or vendors; and

(v) Disclosures to the Credit Information Bureau (India) Limited ("CIBIL") and/or any other credit information bureau and/or agency authorised in this behalf by the RBI.

(c) The Borrower agrees that ACSI aforementioned right to disclose information is reasonable and necessary in the context of the Loan and the enforcement of its rights as contemplated herein. The provisions of this Clause shall survive even after the term/termination of this Agreement and the repayment of the Borrower's dues by ACSI.

(ए) नीचे दिए गए खंड (बी) के प्रावधानों के अधीन, ACSI इसके द्वारा ऋण आवेदन सह KYC फॉर्म में उल्लिखित उधारकर्ता के विवरण या उधारकर्ता से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी को गोपनीय बनाए रखने और उधारकर्ता की पूर्व सहमति के अलावा, इसे किसीके भी समक्ष प्रकट नहीं करने का वचन देता है।

(बी) उधारकर्ता निम्नलिखित परिस्थितियों में ACSI के पास उपलब्ध उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए एसीएसआई को बिना शर्त सहमति देता है:

(i) कानून के तहत किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या नियामक या सरकारी प्राधिकरण को प्रकटीकरण,

(ii) उपरोक्त (i) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 या उसके तहत जारी नियमों, विनियम परिपत्रों और अधिसूचनाओं के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रकटीकरण;

(iii) उपरोक्त खंड 11.5 में निर्दिष्ट अनुसार ACSI को उधारकर्ता की क्रेडिट सत्यापन प्रक्रिया संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रकटीकरण;

(iv) रिकॉर्ड रखने के उद्देश्यों और/या ऐसी कंपनियों या सहयोगियों की विभिन्न योजनाओं और वाहनों के बारे में उधारकर्ता को सूचित रखने के लिए समय-समय पर ACSI द्वारा नियुक्त समूह कंपनियों या ACSI के सहयोगियों या तीसरे पक्ष के ठेकेदारों या विक्रेताओं और / या तीसरे पक्ष के ठेकेदार या विक्रेता को प्रकटीकरण; और

(v) क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड ("CIBIL") और/या RBI द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो और/या एजेंसी को प्रकटीकरण।

(सी) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि जानकारी का खुलासा करने का ACSI उपरोक्त अधिकार ऋण और उसके अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में उचित और आवश्यक है जैसा कि यहां विचार किया गया है। इस अनुबंध के प्रावधान इस अनुबंध की अवधि/समाप्ति और एसीएसआई द्वारा उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान के बाद भी बने रहेंगे।

Borrower's Signature ______________________ Co-Borrower's Signature ______________________ Guarantor's Signature ______________________

11.7 Notice

11.7 नोटिस

(a) Any notice or other communication to be given by ACSI to the Borrower under or in connection with the Loan shall be deemed duly served if (A) delivered personally or (B) sent by confirmed facsimile transmission or (C) by prepaid registered post or (D) email or (E) by telephone (including SMS) to the Borrower at the address / number, of the Borrower set out in the Loan Sanction Letter. The Borrower further agrees that AC S I shall have the right to record telephonic communications with the Borrower to maintain a record and evidence of such communications and notices. Documents which are sent by electronic delivery may be in the form of an email attachment.

(ए) ACSI द्वारा ऋण के तहत या उसके संबंध में उधारकर्ता को दी जाने वाली कोई भी नोटिस या अन्य संचार विधिवत रूप से भेजा गया माना जाएगा, यदि (ए) व्यक्तिगत रूप से डिलीवर किया जाएं या (बी) पुष्टिकृत प्रतिकृति ट्रांसमिशन द्वारा भेजा गया है या (सी) ऋण स्वीकृति पत्र में दिए गए उधारकर्ता के पते/नंबर पर प्रीपेड पंजीकृत डाक या (डी) ईमेल या (ई) टेलीफोन (एसएमएस सहित) द्वारा भेजा गया है। उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है किACSI को ऐसे संचार और नोटिस का रिकॉर्ड और साक्ष्य बनाए रखने के लिए उधारकर्ता के साथ टेलीफोन संचार रिकॉर्ड करने का अधिकार होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी द्वारा भेजे जाने वाले दस्तावेज़ ईमेल अनुलग्नक के रूप में हो सकते हैं।

(b) Any notice or other communication to be given by the Borrower to ACSI under or in connection with the Loan shall be deemed duly served if (A) delivered personally or (B) sent by confirmed facsimile transmission or (C) by prepaid registered post or (D) email, to ACSI at the address / number, of the Borrower set out in the Loan Sanction Letter. Documents which are sent by electronic delivery may be in the form of an email attachment

(बी) ACSI द्वारा ऋण के तहत या उसके संबंध में उधारकर्ता को दी जाने वाली कोई भी नोटिस या अन्य संचार विधिवत रूप से भेजा गया माना जाएगा, यदि (ए) व्यक्तिगत रूप से डिलीवर किया जाएं या (बी) पुष्टिकृत प्रतिकृति ट्रांसमिशन द्वारा भेजा गया है या (सी) प्रीपेड पंजीकृत डाक या (डी) ईमेल द्वारा, ऋण स्वीकृति पत्र में दिए गए उधारकर्ता के पते/नंबर पर ACSI को दिया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी द्वारा भेजे जाने वाले दस्तावेज़ ईमेल अनुलग्नक के रूप में हो सकते हैं।

(c) Notice shall be deemed to have been received by the addressee (A) in the case of personal delivery, if it is actually delivered; (in the case of delivery by courier, the delivery note of the courier company shall be proof of delivery); (B) in the case of delivery by facsimile, on completion of transmission and receipt by the sender of a transmission report; (C) in the case of delivery by the post office, if the receipt is issued by the post office; (D) in the case of delivery through email/electronic communication/SMS, when such electronic communication enters the sent items folders of the sender; and it is clarified that in the case of notice by a telephonic communication, a notice recorded on the answering machine of the recipient at the telephone number provided under the Loan Sanction Letter shall be deemed to be valid notice. The Borrower agrees to assume the entire risk of non-delivery by reason of any electronic error or otherwise. The records of ACSI in relation to any notice or communication will be final and binding on the Borrower.

(सी) व्यक्तिगत डिलीवरी के मामले में नोटिस को प्राप्तकर्ता (ए) द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा, यदि यह वास्तव में डिलीवर किया गया है; (कूरियर द्वारा डिलीवरी के मामले में, कूरियर कंपनी का डिलीवरी नोट डिलीवरी का प्रमाण होगा); (बी) प्रतिकृति द्वारा डिलीवरी के मामले में, ट्रांसमिशन रिपोर्ट के प्रेषक द्वारा ट्रांसमिशन और प्राप्ति के पूरा होने पर; (सी) डाकघर द्वारा डिलीवरी के मामले में, यदि रसीद डाकघर द्वारा जारी की जाती है; (डी) ईमेल/इलेक्ट्रॉनिक संचार/एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी के मामले में, जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रेषक के भेजे गए आइटम फ़ोल्डर में प्रवेश करता है; और यह स्पष्ट किया जाता है कि टेलीफोन संचार द्वारा नोटिस के मामले में, ऋण स्वीकृति पत्र के तहत प्रदान किए गए टेलीफोन नंबर पर प्राप्तकर्ता की उत्तर देने वाली मशीन पर दर्ज किया गया नोटिस वैध नोटिस माना जाएगा। उधारकर्ता किसी भी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या अन्यथा के कारण डिलीवरी न होने का पूरा जोखिम उठाने के लिए सहमत है। किसी भी नोटिस या संचार के संबंध में एसीएसआई के रिकॉर्ड अंतिम होंगे और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होंगे।

(d) ACSI shall be deemed to have fulfilled any legal obligation to deliver to the Borrower any such document if sent via electronic delivery. The Borrower understands that it is its responsibility to review, upon first receipt, whether delivered to the Borrower, as the case may be, by mail, email (including any auto replies from the system of the lender) or other electronic means, all confirmation, statements, notices or any other communication or information. All information contained therein shall be binding upon the Borrower, if the Borrower does not object either in writing or via email, within 24 hours after any such document is sent to the Borrower, the same shall be deemed to have been correct and the same would be binding on the Borrower. However, ACSI reserves the right, in its absolute discretion, to determine the validity of the Borrowers' objection to the transactions even though such objection is received within 24 hours. The Borrower agrees that ACSI will not be responsible for non-receipt of documents sent via electronic delivery due to change in email address of the Borrower.

(डी) यदि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से भेजा जाता है तो एसीएसआई को उधारकर्ता को ऐसे किसी भी दस्तावेज़ को वितरित करने के लिए किसी भी कानूनी दायित्व को पूरा करने वाला माना जाएगा। उधारकर्ता समझता है कि मेल, ईमेल (ऋणदाता के सिस्टम से किसी भी ऑटो उत्तर सहित) या अन्य लेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा पहली प्राप्ति पर सभी पुष्टिकरण, बयान, नोटिस या किसी अन्य संचार या जानकारी की समीक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। यदि उधारकर्ता ऐसे किसी भी दस्तावेज़ को उधारकर्ता को भेजे जाने के 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में या ईमेल के माध्यम से आपत्ति नहीं करता है, तो ऐसा माना जाएगा की इसमें मौजूद सभी जानकारी उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी। हालाँकि, ACSI अपने पूर्ण विवेक से, लेन-देन पर उधारकर्ताओं की आपत्ति की मान्यता निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही ऐसी आपत्ति 24 घंटों के भीतर प्राप्त हो। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उधारकर्ता के ईमेल एड्रेस में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से भेजे गए दस्तावेज़ों की प्राप्ति न होने के लिए ACSI जिम्मेदार नहीं होगा।

(e) The Borrower also agrees that ACSI shall not take cognizance of out-of –office / out-of-station auto replies and the Borrower shall deemed to have received such email if it satisfies the provisions of sub-clause (c) of this Article 11. Unless the Borrower informs ACSI of the change of the address for communication in writing, e-mail or telephone, all notice, circulars, communication or mail sent or left to the existing address shall be deemed to have been received by the Borrower irrespective of whether they are actually received or not.

(ई) उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि ACSI कार्यालय से बाहर / स्टेशन से बाहर ऑटो रिप्लाय पर ध्यान नहीं देगा और उधारकर्ता को ऐसा ईमेल प्राप्त हुआ माना जाएगा यदि, यह अनुच्छेद 11 के उप-खंड (सी) के प्रावधानों को पूरा करता है। जब तक उधारकर्ता लिखित, ई-मेल या टेलीफोन पर संचार के लिए पते में बदलाव के बारे में ACSI को सूचित नहीं करता है, तब तक मौजूदा पते पर भेजे गए या छोड़े गए सभी नोटिस, परिपत्र, संचार या मेल को प्राप्त हुआ माना जाएगा, भले ही उधारकर्ता को वे वास्तव में प्राप्त हुए हों या नहीं।

11.8 Severability

The Borrower undertakes that each of his/her obligations under these terms and conditions is independent and severable from the rest. If any obligation is found not enforceable by a court of law, for any reason, the Borrower shall continue to remain bound by the other obligations stipulated therein.

Borrower's Signature ______________________ Co-Borrower's Signature ______________________ Guarantor's Signature ______________________

11.8 पृथक्करणीयता

उधारकर्ता वचन देता है कि इन नियमों और शर्तों के तहत उसका प्रत्येक दायित्व बाकी से स्वतंत्र और अलग है। यदि किसी भी कारण से कोई दायित्व अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो उधारकर्ता उसमें निर्धारित अन्य दायित्वों से बंधा रहेगा।

11.9 Jurisdiction

All legal action/s and/or proceedings arising out of / in connection with this Agreement, the Transaction Documents and the products, shall be brought in / before the courts or tribunals at the concerned jurisdiction or such other place as may be selected by LENDER and the Borrower/s irrevocably submit/s himself / herself / itself / themselves in the jurisdiction of such courts and tribunals. LENDER may, however, in its absolute discretion to initiate/commence any legal action or proceedings arising out of (or in connection) with any of the above in any other court, tribunal or other appropriate forum, and the Borrower/s shall not object to such jurisdiction.

11.9 क्षेत्राधिकार

इस अनुबंध, लेन-देन दस्तावेजों और उत्पादों के संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी कानूनी कार्रवाइयां और/या कार्यवाहियां संबंधित क्षेत्राधिकार या ऋणदाता द्वारा चुने गए किसी अन्य स्थान पर न्यायालयोंअदालतों या न्यायाधिकरणों के समक्ष लाई जाएंगी और उधारकर्ता ऐसी न्यायालयोंअदालतों और न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में खुद को अपरिवर्तनीय रूप से प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि, ऋणदाता अपने पूर्ण विवेक से किसी भी अन्य न्यायालयअदालत, न्यायाधिकरण या अन्य उपयुक्त फोरम में उपरोक्त में से किसी के साथ (या संबंध में) उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू कर सकता है, और उधारकर्ता ऐसे क्षेत्राधिकार के लिए आपत्ति नहीं करेगा।

11.10 Dispute Resolution

All disputes, differences and / or claims arising out of these presents or in any way touching or concerning the same or as to constructions, meaning or effect hereof or as to the right and liabilities of the parties hereunder shall be settled by arbitration to be held in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments or re-enactments thereof and shall be referred to a sole arbitrator and or any Arbitral Institution selected by the LENDER for the appointment of a sole arbitrator. In the event of death, refusal, neglect, inability or incapability of a person so appointed to act as an arbitrator, LENDER shall appoint another person in his place as the arbitrator. The arbitration proceedings shall be held in Mumbai/Delhi or at such other place as may be selected / directed by LENDER. The award of the arbitrator shall be final and binding on all parties concerned and will be executed at places/locations, where the said product(s) is or are kept/stored/parked at the time of execution proceedings.

11.10 विवाद का समाधान

इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से इनसे संबंधित या निर्माण से संबंधित सभी विवाद, मतभेद और/या दावे, इसके अर्थ या प्रभाव या इसके तहत पार्टियों के अधिकार और देनदारियों का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमितियों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा और एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ऋणदाता द्वारा चयनित एकमात्र मध्यस्थ और या किसी मध्यस्थ संस्थान को भेजा जाएगा। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या अक्षमता की स्थिति में, ऋणदाता उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मुंबई/दिल्ली या ऋणदाता द्वारा चयनित/निर्देशित किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और उन स्थानों/ स्थानों पर निष्पादित किया जाएगा, जहां निष्पादन कार्यवाही के समय उक्त उत्पाद रखा/संगृहीत/रखा जाता है।

I/We acknowledges that the contents of these terms and conditions and their legal consequences have been fully explained to and understood by them at the time of availing the Loan and undertake to abide by the terms and conditions by signing this agreement.

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि इन नियमों और शर्तों की माहिती और उनके कानूनी परिणामों को ऋण प्राप्त करते समय उनके द्वारा पूरी तरह से समझा गया है और इस समझौते पर हस्ताक्षर करके नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं।

Application No. ____________________

Agreement No. ____________________

Borrower Signature. ____________________

Co-Borrower Signature. ____________________

Guarantor Signature. ____________________

आवेदन संख्या ____________________

समझौता संख्या ____________________

उधारकर्ता के हस्ताक्षर ____________________

सह-उधारकर्ता के हस्ताक्षर ____________________

गारंटर के हस्ताक्षर ____________________

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have signed on the day, month and year first above written. Signed and delivered by the within named

इसके साक्ष्य में पक्षकारो ने ऊपर लिखे दिन, महीने और वर्ष पर हस्ताक्षर किए हैं। नामित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

BORROWER ____________________

Date: ____________________

LENDER ____________________

Date: ____________________

उधारकर्ता: ____________________

तारीख: ____________________

ऋणदाता: ____________________

तारीख: ____________________